रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17, 1984/फाल्गुन 27, 1905

No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17, 1984/PHALGUNA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
## PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### (रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
### Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1984

सूचना

—नोटरीज नियम, 1956 के नियम 7 के अनुसरण में म द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री कृष्णानन्द मिश्रा, 9/6, हजरा मार्ग, कलकत्ता-700026 ने उक्त प्राधिकारी को के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे कलकत्ता के कालीघाट क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए,

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5(14)/82-न्या०]
एस० गुप्तू, सक्षम प्राधिकारी

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & CO. AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 2nd March, 1984

NOTICE

S.O. 785.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Krishna Nand Misra, Advocate, 109/6, Hazra Road, Calcutta-700026 for appointment as a Notary to practise in Kalighat areas of Calcutta.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned with fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(44)/82-Judl.]

S. GOOPTU, Competent Authority

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1984

1984 का आदेश संख्या 3

का० आ० 786.—कम्पनी विधि बोर्ड (खण्ड पीठ) नियम 1975 के नियम 2 (व) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कम्पनी विधि बोर्ड ने श्री जे० एस० नेगी (केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा के ग्रेड 4 अधिकारी) को 8 दिसम्बर, 1983 से कथित नियमों के उद्देश्यों के लिये,

जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, व संघ शासित क्षेत्र दिल्ली व चन्डीगढ़ को मिलाकर उत्तरी प्रदेश के लिये, श्री एच० एस० भाटिया के स्थानान्तरण पर, खण्ड पीठ अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

[फा० संख्या 2/7/84-सी० एल० 5]

(Department of Company Affairs)

(Company Law Board)

New Delhi, the 8th March, 1984

ORDER NO. 3 of 1984

S.O. 786.—In exercise of the powers conferred by Rule 2(f) of the Company Law Board (Bench) Rules, 75, the Company Law Board has appointed Shri Z. S. Negi, (a Grade IV Officer of the Central Company Law Service) as Bench Officer for the Northern Region comprising the States of Jammu & Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Union Territories of Delhi and Chandigarh for the purposes of the said Rules with effect from 8th December, 1983 vice Shri H. S. Bhatia transferred.

[File No. 2/7/84-CL. V]

1984 का आदेश संख्या 4

का० आ० 787.—कम्पनी विधि बोर्ड, (खण्ड पीठ) नियम 1975 के नियम 2(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कम्पनी विधि बोर्ड ने श्री एस० श्रीनिवासा गुप्ता (केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा के ग्रेड 4 अधिकारी) को 14 दिसम्बर 1983 से श्री आर० वेंकटारमण के त्याग पत्र देने से रिक्त स्थान पर कथित नियमों के उद्देश्यों के लिये आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी और लक्षद्वीपों को समाविष्ट करते हुये दक्षिण क्षेत्र के लिये खण्ड पीठ अधिकारी नियुक्त किया है।

[फा० सं० 2/7/84-सी०एल० 5]

ए० एम० चक्रवर्ती, सचिव

कम्पनी विधि बोर्ड

ORDER NO. 4 OF 1984

S.O. 787.—In exercise of the powers conferred by Rule 2(f) of the Company Law Board (Bench) Rules, 1975, the Company Law Board has appointed Shri S. Sreenivasa Gupta (a Grade IV Officer of the Central Company Law Service) as Bench Officer for the Southern Region comprising of the States of Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and the Union Territories of Pondicherry and Lakshadeep Islands for the purposes of the said Rules with effect from 14th December, 1983 vice Shri R. Venkataraman resigned.

[File No. 2/7/84-C.L. V.]

A. M. CHAKRABORTI, Secy.

Company Law Board.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1984

शुद्धि पत्र

का०आ० 788.—भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड (3) उपखण्ड (ii) पृष्ठ 3122 पर प्रकाशित, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 3044, दिनांक 21 जुलाई, 1983 में जहां कहीं भी 'वरिष्ठ' शब्द आया हो, उसके स्थान पर 'अतिरिक्त' शब्द पढ़ा जाए।

[सं० 12011/11/83-एफ० 3]

एच० एस० गाबा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 25th February, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 788.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 3044 dated 21st July, 1983 published at page 3122 in Part II, Section (3), Sub-Section (ii) of Gazette of India dated 6th August, 1983 for the word "Senior" wherever it occurs, read "Additional".

[No. 12011/11/83-F. III]

H. S. GABA, Under Secy.

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1984

का०आ० 789.—केन्द्रीय सरकार, पेंशन अधिनियम, 1871 (1871 का 23) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बकाया संदाय (नामनिर्देशन) नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन बकाया संदाय (नामनिर्देशन) (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त

2. पेंशन बकाया संदाय (नामनिर्देशन) नियम, म 5 के उपनियम (1) में, "छह मास" शब्दों के स्थान ", शब्द रखे जाएंगे।

[सं० 2 ?पेंशन-यूनिट/83 नि०-II]

एस० आर० अहीर, उप सचिव

टिप्पण: पेंशन बकाया संदाय (नामनिर्देशन) नियम 1983 का० आ० 3478 तारीख 10-9-1983 के रूप में प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 3rd March, 1984

S.O. 789.—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Pensions Act, 1871 (23 of 1871), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, namely :—

1. (1) These rules may be called the Payment of Arrears of Pension (Nomination) (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, in Rule 5, in sub-rule (1), for the words "six months", the words "one year" shall be substituted.

[No. 26(3)-Pension Unit/83-Vol. II]

S. R. AHIR, Dy. Secy.

Note.—The Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983, were published as S.O. No. 3478 dated 10th September, 1983.

## योजना आयोग

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1984

का० आ० 790 —योजना आयोग की दिनांक 30 नवम्बर, 1983 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में डा० आई० एस० गुलाटी की अध्यक्षता में गठित निगमित कर से संबंधित अध्ययन दल की अवधि चार माह की अवधि के लिए और बढ़ायी जाती है।

[संख्या ए-12034/7/83-प्रशासन-I]

के० सी० अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन)

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 6th February, 1984

S.O. 790.—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 30th November, 1983, the term of the Study Group on Corporate Taxation in India constituted under the Chairmanship of Dr. I. S. Gulati is further extended for a period of four months.

[No. A. 12034/7/83-Admn. I]

K. C. AGARWAL, Director (Administration)

## वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1984

### आय-कर

का०आ० 791.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "मध्य प्रदेश महिला कल्याण समिति, भोपाल" को कर निर्धारण-वर्ष 1983-84 से 1985-86 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5595/फा० सं० 197/142/82-आ० क०(नि०-I)]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 23rd January, 1984

### INCOME-TAX

S.O. 791.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Madhya Pradesh Mahila Kalyan Samiti, Bhopal" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86

[No. 5595/F. No. 197/142/82-IT(AI)]

### आय-कर

का०आ० 792.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, दि० सी० पी० रामस्वामी अय्यर फाउण्डेशन" को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5596/फा० सं० 197/24/83-आ०क०(नि०-I)]

### INCOME-TAX

S.O. 792.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The C. P. Ramaswami Aiyar Foundation" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5596/F. No. 197/24/83-IT(AI)]

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1984

### आय-कर

का०आ० 793.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "इण्डो-जर्मन सोशल सर्विस सोसायटी, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5635/फा० सं० 197/191/82-आ० क० (नि०-I)]

New Delhi, the 16th February, 1984

### INCOME-TAX

S.O. 793.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Indo-German Social Service Society, New Delhi" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5635/F. No. 197/191/82-IT(AI)]

### आय-कर

का०आ० 794.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "नेशनल कौनसिल फार को-आपरेटिव ट्रेनिंग" को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ कर- निर्धारण वर्ष 1982 83 से 1984-85 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5636/फा० सं० 197/175/81-आ० क० (नि०-I)]

### INCOME-TAX

S.O. 794.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "National Council for Co-operative Training" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 5636 (F. No. 197/175/81-IT(AI)]

### आय-कर

का०आ० 795.—आय-कर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "जे० एन० टाटा इंडोमेंट बम्बई" को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5638/फा० सं० 197/132/80-आ० क० (नि०-I)]

## INCOME-TAX

S.O. 795.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "J. N. Tata Endowment Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years *1984-85* to *1986-87*.

[No. 5638/F. No. 197|132|80-IT(AI)]

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1984

## आय-कर

का०आ० 796.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "एसोसिएशन आफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अण्डरटेकिंग्स, नई दिल्ली" को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5651/फा० सं० 197/62/83-आ० क० (नि०-1)]

New Delhi, the 20th February, 1984

## INCOME-TAX

S.O. 796.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Association of State Road Transport Undertakings, New Delhi" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5651/F. No. 197/62/83-IT(AI)]

## आय-कर

का०आ० 797.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "इक्यूमेनिकल क्रिश्चियन सैण्टर बंगलौर" को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ कर-निर्धारण वर्ष 1978-79 से 1984-85 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5652/फा०सं० 197/67/79-आ०क०(नि०-1)]

## INCOME-TAX

S.O. 797.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Ecumenical Christian Centre, Bangalore" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1978-79 to 1984-85.

[No. 5652/F. No. 197|67|79-IT(AI)]

## आय-कर

का०आ० 798.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "सेंट जोसेफ्स एज्युकेशनल एण्ड मेडिकल रिलीफ सोसाईटी" को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5653/फा० सं० 197/47/83 आ० क० नि०-I)]

## INCOME-TAX

S.O. 798.—In exercise of the powers conferred by cluase (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies St. Joseph's, Education and Medical Relief Society" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 5653|F. No. 197|47|83-IT(AI)]

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1984

## आय-कर

का०आ० 799.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल सोसाईटी, नई दिल्ली, को कर निर्धारण-वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5659/फा० सं० 197/103/83-आ० क० (नि०-I)]

New Delhi, the 22nd February, 1984

## INCOME-TAX

S.O. 799.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Kamala Nehru Memorial Hospital Society, New Delhi" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5659|F. No. 197|103|83-IT(AI)]

## आय-कर

का०आ० 800.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "इंडियन एसोसिएशन फार रिसर्च इन नेशनल इन्कम एण्ड वैल्थ, नई दिल्ली" को कर निर्धारण-वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5660/फा० सं० 197/129/82-आ० क० नि०-I)]

## INCOME-TAX

S.O. 800.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Indian Association for Research in National Income and Wealth, New Delhi" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 5660|F. No. 197|129|82-IT(AI)]

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1984

## आय-कर

का० आ० 801.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ की उपधारा (2) (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "श्री मल्लेश्वर मन्दिर, कुन्दापुर (कर्नाटक)" को सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य में विख्यात सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० 5663/फा० सं० 176/79/82-आ० क० (नि०-I)]

New Delhi, the 25th February, 1984

INCOME-TAX

S.O. 801.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Kundeshwara Temple, Kundapura (Karnataka)" to be a place of public worship of renown throughout the State of Karnataka.

[No. 5663 F. No. 176|79|82-IT(AI)]

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1984

का०आ० 802.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "टी० वी० एस० चेरिटीज" को कर निर्धारण वर्ष 1984-85 और 1985-86 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5672/फा० सं० 197/5/84-आ० क० (नि०-1)]

New Delhi, the 29th February, 1984

INCOME-TAX

S.O. 802.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "T. V. S. Charities" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 and 1985-86.

[No. 5672|F. No. 197|5|84-IT(AI)]

**आय-कर**

का० आ० 803.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "कलायस्टर्ड कारमल, मंगलोर" को कर निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5671/फा० सं० 197/127/82-आ० क० (नि०-1)]

INCOME-TAX

S.O. 803.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Cloistered Carmal, Mangalore" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 5671/F. No. 197/127/82-IT(AI)]

**आय-कर**

का०आ० 804.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "दि सोशल वर्क एण्ड रिसर्च सेंटर, अजमेर (राजस्थान)" को कर निर्धारण वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5669/फा० सं० 197/81/82 आ० क० (नि०-I)]

INCOME-TAX

S.O. 804.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "The Social Work & Research Centre, Ajmer (Rajasthan)" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83, 1983-84 and 1984-85.

[No. 5669/F. No. 197|81|82-IT(AI)]

का०आ० 805.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "इण्डियन कौंसिल फार रिसर्च आन इन्टरनेशनल इकानामिक रिलेशन्स, नई दिल्ली" को कर निर्धारण-वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5670/फा० सं० 197/65/83-आ० क० (नि०-I)]

(INCOME-TAX)

S.O. 805.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi" for the purpose of said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5670|F. No. 197|65|83-IT(AI)]

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1984

**आय-कर**

का०आ० 806.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "इंडियन स्टैंडर्डस इंस्टिट्यूशन "को कर निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5681/फा० सं० 197/27/83-आ० क० नि०-1)]

New Delhi, the 5th March, 1984

INCOME-TAX

S.O. 806.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Indian Standards Institution" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 5681|F. No. 197|27|83-IT(AI)]

**आय-कर**

का०आ० 807.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "कोचिन डाक लेबर बोर्ड" को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5682 फा०सं० 197/101/83-आ० क (नि०-1)]

INCOME-TAX

S.O. 807.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Cochin Dock Labour Board" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5682|F. No. 197|101|83-IT(AI)]

**आय-कर**

का०आ० 808.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ आयल को आर्डिनेशन कमेटी आन पूल एकाउंटस :—

(i) फ्रेट सरचार्ज पूल एकाउंट नं 1

(ii) सी० एण्ड एफ० एडजस्टमेंट एकाउंट

(iii) प्राडक्ट प्राईस एडजस्टमेंट एकाउंट

(iv) क्रूड आयल प्राइस इक्वेलाईजेशन एकाउंट" को कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1988-89 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5683/फा० सं० 197/141/83 आ० का० (नि० I)]

INCOME-TAX

S.O. 808.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Oil Co-ordination Committee on Pool Accounts :—

(i) Freight Surharge Pool Account No. 1.

(ii) C&F Adjustment Account.

(iii) Product Price Adjustment Account.

(iv) Crude Oil Price Equalisation Account"

for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1988-89.

[No. 5683/F. No. 197/141/83-IT(AI)]

**आय-कर**

का० आ० 809.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, फैडरेशन आफ इण्डियन एक्सपोर्ट आर्गेनाईजेशन" को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5684 फा० सं० 197/58/83-आ० का० (नि० I)]

INCOME-TAX

S.O. 809.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Federation of Indian Export Organisations" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5684/F. No. 197/58/83-IT(AI)]

**आय-कर**

का० आ० 810.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "बंगाल सोशल सर्विस लीग, कलकत्ता" को कर निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5685/फा० सं० 197/33/80 आ० क० (नि० I)]

INCOME-TAX

S.O. 810.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Bengal Social Service League, Calcutta" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1983-84.

[No. 5685/F. No. 197/33/80-IT(AI)]

**आय-कर**

का० आ० 811.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "अखिल भारतीय गधर्व महाविद्यालय मंडल, बम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1983-84 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5686/फा० सं० 197/146/82-आ०क० (नि० I]

INCOME-TAX

S.O. 811.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Akhil Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya Mandal, Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1983-84.

[No. 5686/F. No. 197/146/82-IT(AI)]

**आय-कर**

का० आ० 812.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "सोसायटी आफ दि हेल्पर्स आफ मेरी, बम्बई" को कर निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5687/फा० सं० 197/242/82 आ० का० (नि० I)]

INCOME-TAX

S.O. 812.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Society of the Helpers of Mary, Bombay" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1984-85.

[5687/F. No 197/242/82-IT(AI)]

**आय-कर**

का० आ० 813.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "वाईल्ड लाईफ एसोसिएशन आफ साउथ इण्डिया, बंगलौर" को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5688/फा० सं० 197/185/82-आ० क० (नि० I)]

आर० के० तिवारी, अवर सचिव

INCOME-TAX

S.O. 813.—In exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Wildlife Association of South India, Bangalore" for the

[No. 5609/F. No. 203/11/84-ITA.II]

purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1983-84 to 1985-86.

[No. 5688/F. No. 197/185/82-IT(AI)]

R. K. TEWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1984

आयकर

का० आ० 814.—इस कार्यालय की दिनांक 27-12-80 की अधिसूचना सं० 3779 (फा० सं० 203/284/80-आ० क० (नि०-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात :—

1. यह कि किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ओंकोलोजी, बंगलौर के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा ।

2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए ।

3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों को तथा अपनी परिसंपत्तियां-देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी ।

संस्था

किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ ओंकोलोजी, बंगलौर

यह अधिसूचना 29-11-83 से 28-11-84 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है ।

[सं० 5609 (फा० सं० 203/11/84-आ० क० नि०-II)]

New Delhi, the 6th February, 1984

INCOME TAX

S.O. 814.—In continuation of this Office Notification No. 3779 (F. No. 203|284|80-ITA.II) dated 27-12-1980, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the Kidwai Memorial Institute of Oncology, Bangalore will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

KIDWAI MEMORIAL INSTITUTE OF ONCOLOGY, BANGALORE.

This notification is effective for a period of one year from 29-11-1983 to 28-11-1984.

[No. 5609 (F. No. 203/11/84/ITA-ID)]

नई दिल्ली, 17 फरवरी 1984

का० आ० 815.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनार्थ नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया है :—

| | | |
|---|---|---|
| अनुसंधान परियोजना का शीर्षक | : | इलेक्ट्रो डिपोजिशन आफ हाई पर्फार्मेंस लो कास्ट मैटीरियल्स फार सेपरेबल इलेक्ट्रानिक कनेक्टर्स । |
| प्रायोजकों का नाम | | (1) मेसर्स गर्ग एसोसिएट्स (प्रा०) लिमिटेड, गाजियाबाद । |
| | | (2) मेसर्स सुकृति विद्युत उद्योग प्रा० लिमिटेड, गाजियाबाद । |
| कार्यान्वित करने वाली संस्थान का नाम | : | भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर । |
| प्रारंभ करने की प्रस्तावित तारीख | : | 11-3-1983 |
| पूरा करने की प्रस्तावित तारीख | : | मार्च, 1985 |
| अनुमानित व्यय | : | (1) 1,50,000 रु० (केवल एक लाख पचास हजार रुपये) । |
| | | (2) 50,000 रु० (केवल पचास हजार रुपये) । |

2. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10(2) (xiii) के अंतर्गत अनुमोदित है तथा प्रायोजन आधार पर परियोजना लेने की पात्र है ।

[सं० 5643 (फा० सं० 203/2/83-आ० क० नि०-II)]

New Delhi, the 17th February, 1984

INCOME-TAX

S.O. 815.—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purposes of sub-section (2A) of the section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 by the Secretary Department of Science & Technology, New Delhi :—

| | |
|---|---|
| Title of research project | Electro Deposition of High Performance low cost materials for separable Electronic connectors. |
| Name of Sponsors | (i) M/s. Garg Associates (P) Limited, Ghaziabad. |
| | (ii) M/s. Sukriti Vidyut Udyog Pvt., Limited, Ghaziabad. |

| | |
|---|---|
| Name of the implementing Institute | Bangalore |
| Proposed date of starting | 11-3-1983 |
| Proposed date of completion | March, 1985 |
| Estimated outlay | (i) Rs. 1,50,000/- (One lakh fifty thousand only)<br>(ii) Rs. 50,000/- (Fifty thousand only) |

2. Indian Institute of Science, Bangalore is approved under section 10(2) (xiii) of the Income-tax Act, 1922 and is eligible to take project on sponsorship basis.

[No. 5643(F. No. 203/205/83-ITA. II)]

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1984

आय-कर

का० आ० 816—सर्वसाधारण की जानकारी हेतु एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10 (2) (xiii) के अन्तर्गत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली को भूतपूर्व वित्त विभाग की दिनांक 23-11-1918 की अधिसूचना संख्या 34 द्वारा सतत आधार पर दिया गया अनुमोदन; 14-9-1983 से वापिस लिया जाता है।

[सं० 5661 (फा० सं० 203/15/83-आ०क० नि० II)]
मदन गोपाल चंद गोयल, अवर सचिव

New Delhi, the 23 February, 1984

INCOME TAX

S.O. 816.—It is hereby notified for general information that the approval granted on perpetual basis u/s. 10(2)(XIII) of the Income-tax Act, 1922, to Indian Meteorological Department, New Delhi vide late Finance Department's notification No. 34 dated 23-11-1946 is hereby withdrawn with effect from 14-9-1983.

[No. 5661 (F. No. 203/15/83-ITA. II)]

M. G. C. GOYAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1984

आदेश

स्टाम्प

का० आ० 817.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो महाराष्ट्र गृह एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण बम्बई द्वारा केवल 1 करोड़, दस लाख रुपये कुल्य के ऋण पत्रों के रूप में जारी किए जाने वाले बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य हैं।

[सं० 15/84-स्टाम्प-फा० सं० 33/9/84-वि०क०]

New Delhi, the 22nd February, 1984

ORDER

STAMPS

S.O. 817.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of debentures to the value of rupees One crore ten lakhs only to be issued by the Maharashtra Housing and Area Development Authority Bombay are chargeable under the said Act.

[No. 15/84-Stamps. F. No. 33/9/84-ST]

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1984

स्टाम्प

का० आ० 818.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 19 नवम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या 34/83-स्टाम्प फा० सं० 33/2/83-वि० क० (का० आ० संख्या 4352) को अधिलंघन करते हुए केन्द्रीय सरकार स्टाम्प शुल्क की गणना के प्रयोजनार्थ नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में, उसी के स्तंभ (2) में तत्समुखी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में समपरिवर्तित के लिए एतद्द्वारा विनिमय की दर निर्धारित करती है।

सारणी

| क्रम सं० | विदेशी मुद्रा | 100रु० के समतुल्य विदेशी मुद्रा की विनिमय की दर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आस्ट्रियन शिलिंग | 179.5 |
| 2. | आस्ट्रेलियन डालर | 10.395 |
| 3. | बैल्जियन फ्रेंक | 520.5 |
| 4. | कनाडियन डालर | 11.695 |
| 5. | डेनिश क्रोनर | 92.40 |
| 6. | ड्यूश मार्क | 25.52 |
| 7. | डच गिल्डर | 228.70 |
| 8. | फ्रेंच फ्रेंक | 78.05 |
| 9. | हांग कांग डालर | 73.10 |
| 10. | इटालियन लीरा | 15561 |
| 11. | जापानी येन | 2176 |
| 12 | मलेशियन डालर | 21.96 |
| 13. | नार्वेजियन क्रोनर | 72.25 |
| 14. | पौंड स्टर्लिंग | 6.5090 |
| 15. | स्वीडिश क्रोनर | 75.5 |
| 16. | स्विस फ्रेंक | 20.45 |
| 17. | अमरीकी डालर | 9.450 |
| 18 | सिंगपुर डालर | 19.990 |

[सं० 17/84-स्टाम्प-फा०सं० 33/2/83-वि०क०]

भगवान दास, अवर सचिव

New Delhi, the 29th February, 1984

STAMPS

S.O. 818.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 34/83-Stamps F. No. 33/2/83-ST (No. S.O. 4352), dated the 19th November, 1983 the Central Government hereby prescribes in column (3) of the Table below, the rate of exchange for the conversion of the foreign currency specified in the corresponding entry in column (2) thereof into the currency of India for the purpose of calculating stamps duty.

TABLE

| S. No. | Foreign Currency | Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100 |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Austrian | Schillings | 179.5 |
| 2. Australian | Dollars | 10.395 |
| 3. Belgian | Francs | 520.5 |
| 4. Canadian | Dollars | 11.695 |
| 5. Darish | Croners | 92.40 |
| 6. Deutsche | Marks | 25.52 |
| 7. Dutch | Guilders | 28.70 |
| 8. French | Francs | 78.05 |
| 9. Hong Kong | Dollars | 73.10 |
| 10. Italian | Lire | 15561 |
| 11. Japanese | Yen | 2176 |
| 12. Malaysian | Dollars | 21.96 |
| 13. Norwegian | Kroners | 72.25 |
| 14. Pound | Sterling | 6.5090 |
| 15. Swedish | Kroners | 75.5 |
| 16. Swiss | Francs | 20.45 |
| 17. U.S.A. | Dollars | 9.450 |
| 18. Singapore | Dollars | 19.990 |

[No.17/84-Stamps.F. No.33/2/83-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1984

आयकर

का० आ० 819 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194क की उपधारा (3) के खण्ड (iii) के उपखण्ड (ब) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, आर्मी ग्रुप इंशोरेन्स फण्ड, नई दिल्ली के रूप में ज्ञात सोसाइटी को उक्त, उप-खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[फा० सं० 275/1/83-आयकर (ब)]

बी० नागाराजन, उप-सचिव

1515 GI/83—2

New Delhi, the 24th February, 1984

INCOME-TAX

S.O. 819.—In pursuance of sub-clause (f) of clause (iii) of sub-section (3) of section 194A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the society known as Army Group Insurance Fund, New Delhi for the purposes of the said sub-clause.

[F. No. 275/1/83-IT(B)]

B. NAGARAJAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1984

आयकर

का०आ० 820 :—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखंड (3) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 30-5-80 की अधिसूचना संख्या 3448 (फा० सं० 398/1/80-आ० क०सं०क०) का अधिलंघन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री रणछोड़भाई एम० परमार को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. यह अधिसूचना, श्री रणछोड़भाई एम० परमार द्वारा कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी ।

[सं० 5664/फा० सं० 398/6/84-आ०क० (ब०)]

बी०ई० अलैक्जैण्डर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th February, 1984

INCOME-TAX

S.O. 820.—In pursuance of sub-clause (iii) of Clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 3448 (F. No. 308/1/80-ITCC) dated 30-5-1980, the Central Government hereby authorises Shri Ranchhodbhai M. Parmar being a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This notification shall come into force with effect from the date of Shri Ranchhodbhai M. Parmar takes over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 5664/F. No. 398/6/84-IT(B)]

B. E. ALEXANDER, Under Secy.

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1984

का०आ० 821.—केन्द्रीय सरकार, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध, राष्ट्रीय जन-विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों के फायदों के लिए स्थापित भविष्य निधि को लागू होंगे ।

[सं० एफ० 4 (2)-ई V/83]

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 29th February, 1984

S.O. 821.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 8 of the Provident Fund Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Provident

Fund established for the benefit of the employees of the National Institute of Hydrology.

[No. F. 4(2)-EV/83]

का० आ० 822 —केन्द्रीय सरकार, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित लोक संस्था का नाम उक्त अधिनियम की अनुसूची में जोड़ती है, अर्थात् :—

"राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान ।" ।

[सं० एफ० 4(2)-ई वी/83]

के० रतन, उपसचिव

S.O. 822.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) of Section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds to the Schedule to the said Act, the name of the following public institution, namely :—

National Institute of Hydrology.

[No. F. 4(2)-EV/83]

K. RATAN, Dy. Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1984

का० आ० 823—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उप खंड (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० एस० नाडकर्णी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि०, बंबई को श्री एस० एस० मेहता के स्थान पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का निदेशक नामित करती है ।

[संख्या एफ० 9/2/84-बी० ओ०-I (1)]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 28th February, 1984

S.O. 823.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby nominates Shri S. S. Nadkarni, Chairman and Managing Director, Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd., Bombay as the Director of the Industrial Development Bank of India vice Shri S. S. Mehta.

[No. F. 9/2/84-BO. I(1)]

का० आ० 824—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के उप खंड (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एम० जे० फेरवानी, अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, बम्बई को श्री जी० एम० पटेल के स्थान पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का निदेशक नामित करती है ।

[संख्या एफ० 9/2/84-बी० ओ०-I (2)]

च० वा० मीरचन्दानी, उप सचिव

S.O. 824.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government hereby nominates Shri M. J. Pherwani, Chairman, Unit Trust of India, Bombay as the Director of the Industrial Development Bank of India vice Shri G. S. Patel.

[No. F. 9/2/84-BO. I(2)]

C. W. MIRCHANDANI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1984

का० आ० 825.—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 (1981 का 61) की धारा 19 के खंड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 14 मार्च से 16 मार्च, 1984 की अवधि के दौरान शतप्रतिशत मूल्य पर, 12 वर्ष की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किये जाने वाले 35 करोड़ रुपये (पैंतीस करोड़ रुपये केवल) के बांडों पर देय ब्याज की दर 8.25 (साढ़े आठ प्रतिशत) तय करती है। बैंक को उक्त अधिसूचित राशि से 10 प्रतिशत अधिक तक अभिदान की राशि अपने पास रख लेने का अधिकार होगा।

[संख्या 10(12)/84-ए०सी०]

अमर सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd March, 1984

S.O. 825.—In pursuance of clause (a) of section 19 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government hereby fixes 8.25 per cent (eight and one fourth per cent) per annum as the rate of interest payable on the bonds of Rs. 35 crores (Rupees thirty five crores only) to be issued at Rs. 100.00 per cent during the period from 14th to 16th March, 1984 with right to retain subscriptions received upto 10 per cent in excess of notified amount with a maturity period of 12 years by the National Bank for Agriculture and Rural Development.

[No. 10(12)/84-AC]

AMAR SINGH, Under Secy.

(बीमा प्रभाग)

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1984

का० आ० 826.—जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० जी० सुब्रमण्यम को, उनके द्वारा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के दिन से लेकर 12 जून, 1985 तक, भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

[एफ० सं० 14(1) इंश्यो-V/84]

जी० एम० शनमुगम, अवर सचिव

(Insurance Division)

New Delhi, the 6th March, 1984

S.O. 826.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956, (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri S. G. Subrahmanyan as Member of the Board of Life Insurance Corporation of India from the day he takes over as Managing Director of the Corporation till the 12th June, 1985.

[File No. 14(1) Ins. V/84]

G. M. SHUNMUGAM, Under Secy.

## विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1984

का०आ० 827.—राजनयिक एवं कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम 1948 की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इसके द्वारा दोहा स्थित भारतीय राजदूतावास में सहायक श्री आर. पी. भोला को तत्काल एजेंट का कार्य करने लिए प्राधिकृत करती है

[सं० टी- 4330/2/84)]

भूपेन्द्र सिंह निडर, अवर सचिव

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 29th February, 1984

S.O. 827.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri R. P. Bholla, Assistant in the Embassy of India, Doha to perform the duties of Consular Agent with immediate effect.

[No. T-4330/2/84]

B. S. NIDDAR, Under Secy.

## वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1984

का० आ० 828.—केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार वाणिज्य मंत्रालय (वस्त्र विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का० आ० 2234 दिनांक 24 अप्रैल 1982, अधिसूचना का० आ० संख्या 77 दिनांक 1-11-83 द्वारा यथा संशोधित में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

उक्त अधिसूचना में मद 30 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

| | |
|---|---|
| "30 श्री ब्रह्म दत्त<br>संयुक्त विकास आयुक्त (हथकरघा)<br>वस्त्र विभाग<br>वाणिज्य मंत्रालय<br>भारत सरकार | अधिनियम की धारा 4(3) (5) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत । |

[फा० सं० 25012/11/82-सिल्क-जिल्द-I]

एम० के० मिश्र, अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

New Delhi, the 6th March, 1984

S.O. 828.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (6 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments, in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce (Department of Textiles) No. S.O. 2234, dated the 24th April, 1982, as amended by Notification S.O. No. 77 dated 1-1-83, namely :—

In the said notification, for item 30 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

| | |
|---|---|
| "30. Shri Brahm Dutt<br>Joint Development Commissioner (Handlooms)<br>Department of Textiles,<br>Ministry of Commerce,<br>Government of India. | Nominated by the Central Government under section 4(3)(5) of the Act." |

[F. No. 25012/11/82-Silk Vol. II]

S. K. MISRA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1984

का० आ० 829.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण अभिकरण मृत्यु-व-सेवा निवृत्ति उपदान नियम, 1981 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मृत्यु-व-सेवा निवृत्ति उपदान (संशोधन) नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. निर्यात निरीक्षण अभिकरण मृत्यु-व-सेवा निवृत्ति उपदान नियम, 1981 में, नियम 2 में :—

(1) उप-नियम (ज) के खण्ड (1) में, "पत्नी" शब्द के पश्चात् "या पत्नियां जिनमें तलाकशुदा पत्नी या पत्नियां भी सम्मिलित है" शब्द जोड़े जाएंगे ।

(2) उप-नियम (ज) के खण्ड (2) में "पति" शब्द के पश्चात् "तलाक शुदा पति भी सम्मिलित है" शब्द जोड़े जाएंगे ।

(3) उप-नियम (ज) के खण्ड (6) तथा (7) कोष्ठक में होंगे तथा इन के सामने "उन व्यक्तियों के मामले में जिनका वैयक्तिक नियम दत्तक को अनुमति देता है, दत्तक माता-पिता सम्मिलित है" शब्द जोड़े जाएंगे ।

(4) उप-नियम के खण्ड (ठ) में "असाधारण छुट्टी" शब्द के पश्चात् कोष्ठक में "(चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर स्वीकृत असाधारण छुट्टी के अतिरिक्त)" शब्द जोड़े जाएंगे, तथा उक्त उप-नियम में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा;

"बशर्ते कि चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर स्वीकृत असाधारण छुट्टी के अतिरिक्त असाधारण छुट्टी के मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसी छुट्टी देने के समय ऐसी छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा में शामिल कर सकता है यदि ऐसी छुट्टी कर्मचारियों को प्रदत्त की गई है :—

(i) नागरिकों में होहल्लड के कारण, उसकी ड्यूटी पर उपस्थित या पुनः उपस्थित होने की असमर्थता के कारण या ,

(ii) उच्च वैज्ञानिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम चालन के लिए।"

3. उक्त नियम के नियम 6 के उप-नियम (क) में, 30,000-रुपयों के स्थान पर 36,000-रुपये रखे जाएंगे ।

[सं० 3(12) 76-ई०आई०एण्ड ई०पी०]

पाद टिप्पण : का० आ० 1608 तारीख 30-5-81
का० आ० 214 तारीख 12-6-82

New Delhi, the 17th March, 1984

S.O. 829.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export Inspection Agency Death-cum-Retirement Gratuity Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Agency Death-cum-Retirement Gratuity (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export Inspection Agency Death-Cum-Retirement Gratuity Rules, 1981, in Rule 2:—

(1) in clause (i) of sub-rule (h), after the word "wife" the words "or wives including judicially separated wife or wives" shall be added.

(2) in clause (ii) of sub-rule (h) after the word "husband" the words "including judicially separated husband" shall be added.

(3) Clause (vi) & (vii) of sub-rule (h) shall be bracketed and the words "including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption" shall be added against these clauses.

(4) in clause (k) of the said rule, after the words "extra-ordinary leave", within brackets the words "(other than extra-ordinary leave granted on medical certificate)" shall be added.

and the following proviso shall be added to the said sub-rule :

"Provided that in the case of extra-ordinary leave other than extra-ordinary leave granted on medical certificate the appointing authority may, at the time of granting such leave, allow the period of that leave to count as qualifying services if such leave is granted to the employees :—

(i) due to his/her inability to join or rejoin on account of civil commotion, or

(ii) for prosecuting higher scientific and technical studies."

3. In sub-rule (a) of Rule 6 of the said rule, the figure Rs. 36,000 may be substituted for Rs. 30,000.

[No. 3(12)/76-EI&EP]

FOOT NOTE.—S.O. 1608 dt. 30-5-81.

S.O. 2141 dt. 12-6-82.

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1984

का० आ० 830.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान नियम, 1981 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्यात निरीक्षण परिषद् मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान (संशोधन) नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. निर्यात निरीक्षण परिषद् मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान नियम, 1981 के नियम 2 में :—

(1) उपनियम (ज) के खंड (1) में, "पत्नी" शब्द के पश्चात् "या पत्नियां जिसके अंतर्गत न्यायिकतः पृथक पत्नी या पत्नियां भी हैं" शब्द जोड़े जाएंगे ।

(2) उपनियम (ज) के खंड (2) में "पति" शब्द के पश्चात् "जिसके अंतर्गत न्यायिकतः पृथक पति भी है" शब्द जोड़े जाएंगे ।

(3) उपनियम (ज) के खंड (6) तथा (7) कोष्ठक में होंगे तथा इनके सामने "उन व्यक्तियों की दशा में जिनकी स्वीय विधि दत्तक अनुज्ञात करती है, दत्तक माता-पिता भी हैं," शब्द जोड़े जाएंगे ।

(4) उपनियम के खंड (ठ) में "असाधारण छुट्टी" शब्द के पश्चात् कोष्ठक में "(चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर स्वीकृत असाधारण छुट्टी के अतिरिक्त)" शब्द जोड़े जाएंगे तथा उक्त उपनियम में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा :

"परन्तु चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर स्वीकृत असाधारण छुट्टी के अतिरिक्त असाधारण छुट्टी की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी छुट्टी देने के समय ऐसी छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा में सम्मिलित कर सकता है यदि ऐसी छुट्टी कर्मचारियों को प्रदत्त की गयी है :—

(i) नागरिकों में होहल्लड के कारण, उसकी ड्यूटी पर उपस्थित या पुनः उपस्थित होने की असमर्थता के कारण या

(ii) उच्च वैज्ञानिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम चालन के लिए ।"

3. उक्त नियम के नियम 6 के उप-नियम (क) में, 30,000/- रुपयों के स्थान पर 36,000- रुपए रखे जाएंगे ।

[सं० 3(12) 76-ई०आई०एण्ड० ई०पी०]

पाद टिप्पण : का०आ० 1607 तारीख 30-5-81
का० आ० 2140 तारीख 12-6-82

New Delhi, the 17th March, 1984

S.O. 830.—In exercise of powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export Inspection Council Death-cum-Retirement Gratuity Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Council Death-cum-Retirement Gratuity (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export Inspection Council Death-cum-Retirement Gratuity Rules, 1981, in Rule 2 :—

(1) in clause (i) sub-rule (h), after the word "wife" the words "or wives including judicially separated wife or wives" shall added.

(2) In clause (ii) of sub-rule (h) after the word "husband" the words "including judicially separated husband" shall be added.

(3) Clause (vi) & (vii) of sub-rule (h) shall be bracketed and the words "including adoptive parents in the case of individuals whose personal law permits adoption" shall be added against these clauses.

(4) in clause (k) of the said rule, after the words "extra-ordinary leave", within brackets the words "(other than extra-ordinary leave granted on medical certificate)" shall be added, and the following proviso shall be added to the said sub-rule :

"Provided that in the case of extra-ordinary leave other than extra-ordinary leave granted on medical certificate the appointing authority may, at the time of granting such leave, allow the period of that leave to count as qualifying service if such leave is granted to the employees :—

(i) due to his/her inability to joint or rejoin duty on account of Civil commotion; or

(ii) for prosecuting higher scientific and technical studies."

3. in sub-rule (a) of Rule 6 of the said rule, the figure Rs. 36,000 may be substituted for Rs. 30,000.

[No. 3(12)/76-EI&EP]

FOOT NOTE.—S.O. 1607 dt. 30-5-81.

S.O. 2140 dt. 12-6-82.

शुद्धिपत्र

का० आ० 831.—निर्यात निरीक्षण अभिकरण में मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान नियम, 1981 में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 1607 तारीख 30 मई, 1981 के साथ भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) तारीख 30 मई, 1981 में प्रकाशित हुए :

1. नियम 2 के उप-नियम (ज) में :

(क) खंड (iii) में "पुत्र" के स्थान पर 'पुत्रों" पढ़ा जाएगा ।

2. नियम 12 में "उपाबंध 1 से iii" के स्थान पर "उपाबंध i से ii" पढ़ा जाएगा।

[सं० 3(12)/76-ई०आई० एण्ड ई० पी०]

CORRIGENDUM

S.O. 831.—In the Export Inspection Agency Death-cum-Retirement Gratuity Rules, 1981 published with the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, S.O. No. 1608 dated the 30th May, 1981 in the Gazette of India Part II, Section 3 Sub-Section (i) dated the 30th May 1981 :

(1) In sub-rule (h) of rule 2 :

(a) in clause (iii), for 'son' read "sons".

(b) in clause (ix) for 'or' read 'of'.

(2) In Rule 12 for "Annexure I to III" read "Annexure I to II".

[No. 3(12)/76-EI&EP]

शुद्धिपत्र

का० आ० 832.—निर्यात निरीक्षण परिषद् मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान नियम, 1981 में जो कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 1607 तारीख 30 मई, 1981 के साथ भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) तारीख 30 मई, 1981 में प्रकाशित हुए :

1. नियम 2 के उपनियम (ख) में :

(क) खंड (iii) में "पुत्र" के स्थान पर "पुत्रों" पढ़ा जाएगा ।

2. नियम 12 में "उपबंध i से iii" के स्थान पर "उपबन्ध i से ii" पढ़ा जाएगा ।

[सं० 3(12)/76-ई०आई० एण्ड ई०पी०]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

CORRIGENDUM

S.O. 832.—In the Export Inspection Council Death-cum-Retirement Gratuity Rules, 1981 published with the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce S.O. 1607 dated the 30th May, 1981 in the Gazette of India Part II Section 3 Sub-section (i) dated the 30th May, 1981 :

(1) In sub-rule (h) of rule 2 :

(a) in clause (iii), for 'son' read "sons".

(b) in clause (ix) for 'or' read 'of'.

(2) In Rule 12 for "Annexure I to III" read "Annexure I to II".

[No. 3(12)/76-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director

मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1983

का० आ० 833—सर्व श्री गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, 43/40 गार्डन रीच, कलकत्ता-24 को रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एफ०सी०/आई० एम०पी०/पी० एच०-111/6/18686 दिनांक 9-1-1974 में संलग्न सूची के अनुसार क्यू वी मैम मेरिन डीजल इंजन के टर्बो चार्जर्स के लिए अपेक्षित संघटकों के आयात के लिए 2,50,000/- रु० का आयात लाइसेंस संख्या 1/ए/1397912 दिनांक 22-2-1974 प्रदान किया गया था ।

2. सर्वश्री गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड ने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि (सीमा शुल्क नियंत्रण प्रति) के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क प्रति बिना किसी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए और बिल्कुल भी उपयोग में लाए बिना ही खो गई है। सर्वश्री गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता इस बात से सहमत है और वचन देता है कि मूल आयात लाइसेंस के बाद में मिल जाने पर उसे इस कार्यालय के रिकार्ड के लिए वापिस कर दिया जाएगा ।

3. अपने तर्क के समर्थन में सर्वश्री गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता ने 1983-84 की आयात-निर्यात क्रियाविधि हैंडबुक के अध्याय 15 के पैरा 353 में दी शर्तों के अनुसार एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि मूल आयात लाइसेंस संख्या 1/ए/1397912 दिनांक 22-2-1974 खो गया है और आवेदन को अनुलिपि लाइसेंस (सीमा शुल्क नियंत्रण प्रति) जारी करने का निदेश देता है। लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रति एतद्द्वारा रद्द की गई मानी जाएगी ।

4. आयात लाइसेंस की अनुलिपि (सीमा शुल्क नियंत्रण प्रति) अलग से जारी की जा रही है ।

[(मि० सं० एन० डी०/474/73-74/पी० एल० एस०/बी)]

एम० एल० भार्गव, उप मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 26th December, 1983

S.O. 833.—M/s. Garden Reach Workshop Ltd., 43/40 Garden Reach, Calcutta-24 was granted an Import Licence No. 1|A|1397912 dated 22-2-1974 for Rs. 2,50,000 for import of Components required for the manufacture of turbo chargers for QV mam marine Diesel Engine as per list attached against Ministry of Defence Letter No. FC|IMP|PH-111|6|18686 dated 9-1-1974.

2. M|s. Garden Reach Workshop Ltd., have now requested for issue of Duplicate (Custom Control Copy) of the above licence on the ground that the original Custom Copy has been lost without being registered with the Custom Authority and Utilised infull. M|s. Garden Reach Workshop Ltd., Calcutta agrees and undertakes to return the Original Import Licence, if traced later on to this office, for record.

3. In support of their contenion, M|s. Garden Reach Workshop Ltd., Calcutta have filled an affidavit as required in terms of para 353 of Chapter XV of Hand Book of import-export procedures for 1983-84. The undersigned is satisfied that the Original import licence No. 1|A|1397912 dated 22-2-1974 has been lost and directs that duplicate licence (Custom Control Copy) may be issued to the applicant. The original Custom Copy of the licence is hereby treated as cancelled.

4. The duplicate (Custom Control Copy) of the import licence is being issued separately.

[F. No. ND|474|73-74|PLS|B]

M. L. BHARGAVA, Dy. Chief Controller of Imports and Exports.

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1984

का० आ० 834.—मर्वश्री हितेक इंडस्ट्रीज (बिहार) प्राइवेट लिमिटेड, रांची को पुरानी मशीनरी के निर्यात के लिए निर्यात लाइसेंस सं० पी०/सी०जी०/2094574 दिनांक 26-11-83 प्रदान किया था।

2. आवेदक ने अब आयात लाइसेंस सं० पी०/सी०जी०/2094574 दिनांक 26-11-83 की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रतियां बिना किसी सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए और बिल्कुल भी उपयोग में लाए बिना ही चोरी हो गई हैं। आवेदक उपर्युक्त आयात लाइसेंस की मूल प्रतियों के बाद में मिल जाने पर उन्हें इस कार्यालय के रिकार्ड के लिए वापस करने को सहमत है और वचन देते है।

3. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने 1983-84 की आयात-निर्यात क्रियाविधि हैंड-बुक के पैरा-353 में मांगे गए के अनुसार एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं० पी०/सी० जी०/2094574 दिनांक 26-11-83 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/चोरी हो गई है और निदेश देते हैं कि आवेदक को उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जाए। उपर्युक्त आयात लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती हैं।

4. आयात लाइसेंस सं० पी०/सी० जी०/2094574 दिनांक 26-11-83 की सीमा-शुल्क प्रयोजन/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रतियां अलग से जारी की जा रही हैं।

[मिसिल सं० 637/1/83-84 सी०जी०-4/1096]

पॉल बेक, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

ORDER

New Delhi, the 2nd March, 1984

S.O. 834.—M/s. Hitek Industries (Bihar) Pvt. Ltd., Ranchi have been granted import licence No. P|CG|2094574 dated 26-11-1983 for import of secondhand machinery.

2. The applicant has now requested for issue of duplicate copy of Customs Purpose and Exchange Control copies of licence No. P|CG|2094574 dated 26-11-1983 on the ground that the original copies have been stolen away without having been registered with any customs authorities and not utilized at all. The applicant agrees and undertakes to return the original copies of the above licence if traced later to this office for record.

3. In support of his contention the applicant has filed an affidavit as required in para 353 of the Hand Book of Import-Export Procedures 1983-84. The undersigned is satisfied that the original custom purpose copy and exchange control copy of import licence No. P|CG|2094574 dated 26-11-1983 have been lost/stolen and directs that duplicate copy of the customs purpose and exchange control copy of the above licence should be issued to the applicant. The original copies of the custom purposes and exchange control copy of the above import licence are hereby cancelled.

4. Duplicate copies of the customs purposes|exchange control copies of the import licence No. P|CG|2094574 dated 26-11-1983 are being issued separately.

[File No. 637|1|83-84|CG IV|1096]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

for Chief Controller of Imports & Exports.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

मद्रास, 3 मार्च, 1984

आदेश संख्या 12/84 दिनांक 28-2-1684

का० आ० 835.—सर्वश्री सिल्ट्रानिक्स (इंडिया) लिमिटेड, होसूर को रुपये 1,86,900 तक प्रतिस्थापन फिल्टर्स, माडल एस-1 यूवी स्टेरीलाइजर्स का प्रतिस्थापन पुर्जे, माडल एसएल-10 ए यूवी स्टेरीलाइजर्स का प्रतिस्थापन पुर्जे, गैस शोधक, माइसचर एनलाइजर्स आदि का आयात यू० के० तथा यू० एस० ए० से करने के लिए लाइसेंस संख्या पी/सीजी/2079078/सी/एक्सएक्स/84/एम/82 दिनांक 9-7-83 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति खो जाने के कारण उसकी अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए आवेदक ने आवेदन किया है उनसे यह भी कहा गया है कि उपर्युक्त लाइसेंस, पंजीकृत सीमाशुल्क समाहर्ता, सीमाशुल्क सदन, एयर कार्गो काम्पलेक्स, मद्रास-27 से की गयी है और लाइसेंस की उपयोग रुपये, 1,60,687.69 तक कर ली गयी है।

आवेदक ने अपने तर्क के समर्थन में एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी/सीजी/2079078 दिनांक 9-7-82 की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की मूल प्रति खो दी गयी है और आदेश देता है कि उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति आवेदक को जारी किया जाये। सीमाशुल्क प्रति की मूल प्रति एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

रुपये 26,212.31 की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति संख्या डी/246483 दिनांक 21-2-84 अलग जारी किया जाता है।

[संख्या : आईटीसी/सीजी/डीजीटीडी/39/एएम 83/एयु-2]

(Office of the Jt. Chief Controller of Imports and Exports)

Madras, the 3rd March, 1984

ORDER NO. 12/84 Dt. 28|2|1984

S.O. 835.—M/s. Slroilics (India) Ltd., Hosur were granted a licence No. P|CG|2079078|C|XX|84|M/82 dated 9-7-1983 for Rs. 1,86,900 for the import of Replacement Filters. Replacement Parts for Model SI-1 UV Sterilizer, Replacement parts for Model SL-10 A UV Sterlilizer, Gas Purifiers, Moisture Analyser etc. from U.K. and USA. They have requested to issue a duplicate copy of Customs purpose copy of the above said licence which has been lost by them. Further it has been stated that the above licence has been registered with Collector of Customs (Customs House) Air Cargo Complex, Madras-27 and partly utilised for a value of Rs. 1,60,687.69.

In support of their contention the applicant has filled an affidavit, the undersigned is satisfied that the original C.P., copy of the licence No. P|CG|2079078 dated 9-7-1982 has been lost and directs that a duplicate copy of the said C.P. copy of the licence should issue to them. The original C.P. Copy of the licence is hereby cancelled.

A duplicate C.P. copy of licence No. D/246483 dated 21-2-1984 for Rs. 26,212,31 has been issued separately.

[No. ITC|CG|DGTD|39|AM.83|AU.II]

आदेश संख्या 11/84 दिनांक 4-2-84

का० आ० 836.—मर्वश्री कट्टयोम्मन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, तिरनेलवेली को, रुपये 5,00,000 तक डेनमार्क से एक एएमसी (डेनमार्क) माडल सी-4 सिलेंडर बोरिंग मशीन, एक एएमसी (डेनमार्क) माडल एच-250 सिलेंडर लैनर होनिंग मशीन और एक एएमसी (डेनमार्क) माडल सीआरबी 150 सीओएन राड बोरिंग मशीन का आयात करने के

लिए लाइसेंस संख्या पी/सीजी/2079353 दिनांक 3-3-1983 जारी किया गया था। लाइसेंसधारी ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इसलिए आवेदन किया गया है कि उपर्युक्त लाइसेंस किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत करवाये बिना और बिल्कुल उपयोग में लाये बिना खो दी गयी है।

आवेदक ने अपने तर्क के समर्थन में एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी/सीजी/2079353 दिनांक 3-3-1983 की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की मूल प्रति खो दी गयी है और आदेश देता है कि आवेदक को उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति जारी किया जाय। लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की मूल प्रति एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

रुपये 5,00,000 के सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति संख्या डी/2464830 दिनांक 3-2-1984 अलग जारी किया जाता है।

[संख्या : आईटीसी/सीजी/एयू/गैर-औद्योगिक/31/एएम 83/एयू 2]

सी०जी०फेरनान्डेज़, मुख्य नियंत्रक

ORDER NO. 11/84 Dated 4-2-84

S.O. 836.—M/s. Kattabomman Transport Corporation Ltd., Tirunelveli were granted a licence No. P/CG/2079353 dated 3-3-1983 for Rs. 5,00,000 for the import of one AMC (Denmark) Model C-4 Cylinder Boring Machine; One AMC (Denmark) Model H-250 Cylinder Liner Honing Machine and One AMC (Denmark) Model CRB 150 Con. Rod Boring Machine from Denmark. They were requested to issue a duplicate copy of Customs purposes copy of the above said licence which has been lost by them. Further it has been stated by them that the licence has not been registered with any Customs Authorities and utilised at all.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit, the undersigned is satisfied that the original C.P. Copy of the licence No. P|CG|2079353 dated 3-3-1983 has been lost and directs that duplicate copy of the said C.P. Copy of licence should be issued to them. The original C.P. Copy of the licence is hereby cancelled.

A duplicate Customs Purposes Copy of licence No. D/2464830 dated 3-2-1984 for Rs. 5,00,000 has been issued separately.

[F. No. ITC/CG/AU|N. Indl.|31|AM 83|AU. II]

C. G. FERNANDEZ, Dy. Secy.

## ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1984

का०आ० 837—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० मोटवान होडर से अंकलेश्वर सीटी० एफ० तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड-7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 31-10-81 से समाप्त कर दिया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के उपनियम-4 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्द्वारा उक्त तथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

मोटवान होडर से अंकलेश्वर सी० टी० एफ० तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

| मंत्रालय का नाम | गांव | का०आ० सं० | भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि | कार्य समाप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) | सेलवा | 2761 | 2-7-83 | 31-10-81 |

[सं० ओ०-12016/58/82-प्रो०]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 29th February, 1984

S. O. 837.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d/s Motwan Header to ANK CTF in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 31-10-81.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notified the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Pipeline From D.S. Motwan Header to ANK CTF

| Name of Ministry | Village | S.O. No. | Date of publication in the Gazette of India | Date of termination of operation |
|---|---|---|---|---|
| Ministry of Energy (Deptt. of Petroleum) | Telwa | 2761 | 2-7-83 | 31-10-81 |

[No. O-12016/58/82-Pro d.]

का० आ० 838 :—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० एस० डी० एल० से एस० डी० एन० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए भूमि उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 23-11-82 से समाप्त कर दिया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

एस डी एल से एस डी एन तक पाइपलाइन कार्य समाप्ति

| मंत्रालय का नाम | गांव | का०आ० सं० | भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि | कार्य समाप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| ऊर्जा मंत्रालय, (पेट्रोलियम विभाग) | पारडी इंड्रीस | 2372 | 28-5-83 | 23-11-82 |

[सं ओ०-12016/52/82-प्रोड०]

S.O. 838—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SDL to SDN in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 23-11-82.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Pipeline from D.S. SDL to SDN

| Name of Ministry | Village | S.O. No. | Date of publication in the Gazette of India | Date of termination of operation |
|---|---|---|---|---|
| Ministry of Energy, Deptt. of Petroleum | Pardi-Indris | 2372 | 28-5-83 | 23-11-82 |

[No. O-12016/52/82-Prod.]

का० आ० 839:—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० एस० एन० ए० जे० से एम० एन० एन० ओ० तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित किये गये हैं ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 12-11-82 से समाप्त कर दिया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

एस० एन० ए० जे० से एम० एन० ए० ओ० तक पाइपलाइन कार्य समाप्ति

| मंत्रालय का नाम | गांव | का०आ० सं० | भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि | कार्य समाप्ति तिथि |
|---|---|---|---|---|
| ऊर्जा मंत्रालय, (पेट्रोलियम विभाग) | कसमपुरा | 3692 | 1-10-83 | 12-11-82 |

[सं 12016/51/82-प्रोड०]

S.O. 839.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SNAJ to SNAO in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 12-11-82.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Pipeline from D.S. SNAJ to SNAO

| Name of Ministry | Village | S.O. No. | Date of publication in the Gazette of India | Date of termination of operation |
|---|---|---|---|---|
| Ministry of Energy, Deptt. of Petroleum | Kasal Pura | 3692 | 1-10-83 | 12-11-82 |

[No. 12016/51/82-Prod.]

का० आ० 840 :—यतः भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य में उक्त विनिर्दिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० एम० टी० बी० से मोटवान-1 तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित किए गये हैं ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (i) में विनिर्दिष्ट कार्य दिनांक 14-6-83 से समाप्त कर दिया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) नियम, 1963 के नियम 4 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त तिथि का कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं ।

अनुसूची

एम० टी० बी० से मोटवान-1 तक पाइपलाइन कार्य समाप्ति

| मंत्रालय का नाम | गांव | का०आ० सं० | भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि | कार्य समाप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| ऊर्जा मंत्रालय, (पेट्रोलियम विभाग) | मोटवान | 3691 | 1-10-83 | 14-6-83 |

[सं० O-12016/42/83-प्रोड०]

ह/०-अप ठनीय

गुजरात के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी

S.O. 840—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the

schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. MTB to Motwan-1 in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 14-6-83.

Now Therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Pipeline from D.S. MTB to Motwan-1.

| Name of Ministry | Village | S.O.No. | Date of publication in the Gazette of India | Date of termination of operation |
|---|---|---|---|---|
| Ministry of Energy, Deptt. of Petroleum | Motwan | 3691 | 1-10-83 | 14-6-83 |

[No. O-12016/42/83-Prod.]

Sd/-Illegible

Competent Authority under the Act for Gujarat

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1984

का० आ० 841:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजीरा-बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए ।

राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : मांगरोल

| गांव | सर्वे नं० | हेक्टेयर | आर | सेन्टीयर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| कोसंबा | 889 | 0 | 30 | 70 |
| | 892 | 0 | 19 | 68 |
| | 891/पी | 0 | 67 | 20 |
| | 901 | 0 | 43 | 00 |
| | 900 | 0 | 37 | 41 |
| | 899 | 0 | 18 | 00 |
| | 923 | 0 | 36 | 00 |
| | कार्ट ट्रैक | 0 | 04 | 08 |
| | 840 | 0 | 59 | 89 |
| | 839 | 0 | 47 | 55 |
| | 838 | 0 | 15 | 18 |
| | 837 | 0 | 25 | 29 |
| | कोटार | 0 | 09 | 11 |
| | 745 | 0 | 14 | 16 |
| | 800 | 0 | 37 | 43 |
| | 801 | 0 | 08 | 09 |
| | 799 | 0 | 03 | 04 |
| | 798 | 0 | 47 | 55 |
| | 793 | 0 | 41 | 48 |
| | 794 | 0 | 27 | 31 |
| | 421 | 0 | 07 | 08 |
| | 420 | 0 | 27 | 31 |
| | कोटार | 0 | 04 | 05 |
| | 422 | 0 | 41 | 48 |
| | 419 | 0 | 26 | 30 |
| | 418 | 0 | 21 | 25 |
| | 424 | 0 | 03 | 04 |
| | 425 | 0 | 27 | 31 |
| | 331/1 | 0 | 15 | 18 |
| | 332 | 0 | 42 | 99 |
| | 229/पी | 0 | 47 | 55 |
| | 229 | 0 | 47 | 55 |
| | 357 | 0 | 33 | 39 |
| | 358 | 0 | 03 | 04 |
| | 220 | 0 | 19 | 22 |
| | 221 | 0 | 22 | 26 |
| | 219 | 0 | 03 | 04 |
| | 223 | 0 | 05 | 06 |
| | 218 | 0 | 55 | 64 |
| | 209 | 0 | 46 | 54 |
| | 210 | 0 | 22 | 26 |
| | 206 | 0 | 13 | 15 |
| | 205 | 0 | 59 | 69 |
| | 200/पी | 0 | 60 | 70 |
| | कोकेर | 0 | 17 | 20 |

[सं० एल० 12016/3/89-प्रोड०]

पी० के० राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 29th February, 1984

S.O. 841.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And wheras it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user herein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objecion shall also state specifically whether he wishes to be hear in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline From Hajira—Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat Dist : Surat Taluka : Mangrol

| Village | Survey No. | Hectare | Are | Centiare |
|---|---|---|---|---|
| Kosamba | 889 | 0 | 30 | 70 |
| | 892 | 0 | 19 | 68 |
| | 891/P | 0 | 67 | 20 |
| | 901 | 0 | 43 | 00 |
| | 900 | 0 | 37 | 41 |
| | 899 | 0 | 18 | 00 |
| | 923 | 0 | 36 | 00 |
| | Cart Track | 0 | 04 | 08 |
| | 840 | 0 | 59 | 89 |
| | 839 | 0 | 47 | 55 |
| | 838 | 0 | 15 | 18 |
| | 837 | 0 | 25 | 29 |
| | Kotar | 0 | 09 | 11 |
| | 745 | 0 | 14 | 16 |
| | 800 | 0 | 37 | 43 |
| | 801 | 0 | 08 | 09 |
| | 799 | 0 | 03 | 04 |
| | 798 | 0 | 47 | 55 |
| | 793 | 0 | 41 | 48 |
| | 794 | 0 | 27 | 31 |
| | 421 | 0 | 07 | 08 |
| | 420 | 0 | 27 | 31 |
| | Kotar | 0 | 04 | 05 |
| | 422 | 0 | 41 | 48 |
| | 419 | 0 | 26 | 30 |
| | 418 | 0 | 21 | 25 |
| | 424 | 0 | 03 | 04 |
| | 425 | 0 | 27 | 31 |
| | 331/1 | 0 | 15 | 18 |
| | 332 | 0 | 42 | 99 |
| | 229/P | 0 | 47 | 55 |
| | 229 | 0 | 47 | 55 |
| | 357 | 0 | 33 | 39 |
| | 358 | 0 | 03 | 04 |
| | 220 | 0 | 19 | 22 |
| | 221 | 0 | 22 | 26 |
| | 219 | 0 | 03 | 04 |
| | 223 | 0 | 05 | 06 |
| | 218 | 0 | 55 | 64 |
| | 209 | 0 | 46 | 54 |
| | 210 | 0 | 22 | 26 |
| | 206 | 0 | 13 | 15 |
| | 205 | 0 | 59 | 69 |
| | 200/P | 0 | 60 | 70 |
| | Kotar | 0 | 17 | 20 |

[No. L-12016/3/84-Prod.]

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1984

का० आ० 842.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि असम प्रदेश में डिब्रूगढ़ जिलान्तर्गत डिगबोई से तिनसुकिया तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन इंडियन आयल कार्पोरेशन (आसाम आयल डिवीजन) द्वारा बिछाई जानी चाहिये ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए लिखित आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, श्री जुगल चन्द्र बोरा, मैनेजर (कर्मचारी-सेवायें), इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आसाम आयल डिवीजन) डिगबोई-786171, को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

डिब्रूगढ़ जिलान्तर्गत इंडियन आयल कारपोरेशन (आसाम आयल डिवीजन) डिबोई के न्यूटेक फार्म से इंडियन आयल कारपोरेशन (आसाम आयल डिवीजन) के तिनसुकिया टर्मिनल डिपो तक पैट्रोलियम उत्पाद—परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाना (सरकारी जमीन) ।

| क्रम संख्या | रैवेन्यू ग्राम | मौजा | खाग नं० | क्षेत्र फल बी० क० सू० | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | डिगबोई टाउन | माकूम | 448 | 0—1—0 | सड़क की बगल की जमीन |
| 2. | बरबिल गांव नं० 2 | " | 144 | 0—0—6 | रास्ता |
| 3. | बरबिल गांव नं० 3 | " | 485 | 0—0—12 | नाला |
| | | | 451 | 0—0—0 | " |
| | | | 452 | 0—1—8 | " |
| | | | 310 | 0—0—8 | रास्ता |

| क्रम सं० | रेवेन्यू ग्राम | मौजा | दाग नं० | क्षेत्रफल बी० ब० लू० | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | आउगुड़ी गांव पार्ट 4 | टिपलिंग | 454 | 0-2-8 | बंजर जमीन |
| | | | 480 | 0-0-13 | रास्ता |
| 5. | अपर मामोरोनी | ,, | 116 | 0-2-12 | बंजर जमीन |
| 6. | मामोरोनी पार्ट 2 | ,, | 904 | 0-0-16 | सड़क की सुरक्षित जमीन |
| | | | 675 | 0-0-4 | रास्ता |
| 7. | मामोरोनी पार्ट 1 | ,, | 420 | 0-0-05 | रास्ता |
| | | | 414 | 0-0-8 | ,, |
| | | | 443 | 0-0-12 | ,, |
| | | | 394 | 0-2-12 | ,, |
| | | | 476 | 0-0-2 | बंजर जमीन |
| 8. | आउगुड़ी पार्ट 1 | ,, | 1 | 8-0-11 | ,, |
| | | | 15 | 1-0-13 | ,, |
| | | | 3 | 0-4-16 | ,, |
| | | | 637 | 1-1-6 | सुरक्षित जमीन |
| | | | 638 | 0-2-1 | टिंगरई नदी |
| 9. | 1916/17/ का डब्ल्यू० एल० ए० नं० 33 इटाखुली सीड गार्डेन | ,, | 18 | 0-2-11 | सुरक्षित जमीन |
| | | | 40 | 0-0-10 | 20 फुट सुरक्षित जमीन |
| | | | 22 | 0-0-8 | 20 फुट ,, ,, |
| | | | 23 | 0-0-9 | 20 फुट सुरक्षित जमीन |
| | | | 4 | 0-0-9 | रास्ता |
| | | | 27 | 0-0-9 | 20 फुट सुरक्षित जमीन |
| 10. | रबरबाड़ी गांव | ,, | 141 | 0-0-8 | रास्ता |
| | | | 94 | 0-0-12 | सड़क की बगल की जमीन |
| | | | 96 | 0-0-8 | रास्ता |
| | | | 95 | 0-0-3 | सुरक्षित जमीन |
| 11 | टिंगरई हवेया नं० 1 | ,, | 111 | 0-0-3 | सुरक्षित जमीन |
| | | | 110 | 0-0-4 | रास्ता |
| | | | 109 | 0-0-6 | सुरक्षित जमीन |
| | | | 117 | 0-0-10 | रास्ता |
| | | | 98 | 0-0-13 | सुरक्षित जमीन |
| | | | 97 | 0-0-8 | रास्ता |
| | | | 56 | 0-0-13 | सुरक्षित जमीन |
| | | | 47 | 0-0-13 | ,, |
| | | | 45 | 0-0-13 | ,, |
| | | | 46 | 0-0-8 | रास्ता |
| 12. | टेंगापानी चाय बागान | ,, | 73 | 0-2-2 | सुरक्षित जमीन |
| 13. | हवेया नं० 2 | ,, | 436 | 4-4-9 | चरागाह |
| | | | 79 | 0-0-3 | बंजर जमीन |
| | | | 482 | 0-0-11 | ,, |
| | | | 102 | 0-0-4 | रास्ता |
| | | | 28 | 0-1-15 | रास्ता |
| | | | 11 | 0-0-12 | नाला |
| 14. | लाहोरी बंगाली गांव | तिमसुकिया | 161 | 0-1-18 | टिंगरई नदी |
| | | | 369 | 0-2-18 | बंजर जमीन |
| | | | 362 | 0-0-5 | बंजर जमीन |
| | | | 117 | 0-0-6 | रास्ता |
| | | | 98 | 0-0-7 | ,, |
| | | | 132 | 0-1-5 | बंजर जमीन |
| 15. | लाहोरी नेपाली गांव | ,, | 236 | 0-0-15 | नाला |
| | | | 206 | 6-2-9 | चरागाह |
| 16. | पथरीजन | ,, | 232 | 5-2-8 | चरागाह |
| | | | 214 | 0-1-10 | रास्ता |

| क्रम सं० | रैवेन्यू ग्राम | मौजा | दाग सं० | क्षेत्रफल बी०के०ल० | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | पटिया पठार नं० 2 | तिनसुकिया | 15 | 0—0—10 | रास्ता |
| | | " | 14 | 0-0—13 | सड़क की बगल की जमीन |
| 18 | पटिया पठार नं 1 | | 2 | 0—4—6 | रेलवे सुरक्षित जमीन |
| 19 | तिनसुकिया टाउन | " | 405 | 8-3-11 | रेलवे सुरक्षित जमीन |
| | | | 502 | 0—1—5 | रास्ता |
| | | | 4588 | 0—2—10 | रेलवे सुरक्षित जमीन |
| | | | 4587 | 0—0—9 | रेलवे लाइन |
| | | | 4586 | 0—2—12 | रेलवे सुरक्षित जमीन |
| | | | 3051 | 0—0—5 | रास्ता |
| | | | 3752 | 0-0—5 | रास्ता |
| | | | कुल क्षेत्रफल | 45—0—3 | |

[सं० O-12016/4/84-प्रोड०]

पी०के० राजा गोपालन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th March, 1984

S.O. 842.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a Petroleum Product Pipeline from the New Tank Farm of Indian Oil Corporation Limited (Assam Oil Division) situated in Digboi Town to the Tinsukia Terminal Depot of Indian Oil Corporation Limited (Assam Oil Division) in Tinsukia Town, within the Dibrugarh District be laid by Indian Oil Corporation Limited (Assam Oil Division).

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in the Land described in the Schedule annexed hereto.

Now, in exercise of powers conferred by Sub-section 1 of Section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (Act 50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the said pipeline on the land, mentioned in the Schedule hereto, to the Competent Authority, namely Shri Jugal Chandra Borah, Manager (Employee Servxices), IOC Ltd., (AOD), Digboi-786171 in writing.

And every person making such objection shall also state specifically whether he/she wishes to be heard in person or by legal practitioner.

(SCHEDULE)

Laying of Petroleum Product Pipeline from New Tank Farm of Indian Oil Corporation Limited (Assam Oil Division) at DIGBOI to Tinsukia Terminal Depot of Indian Oil Corporation Limited (Assam Oil Division) at TINSUKIA within Dibrugarh District.

(Govt. Land)

| Sl. No. | Revenue Village | Mouza | Dag No. | Area B-K-L | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Digboi Town | Makum | 448 | 0-1-0 | Road side reserved land. |
| 2. | No. 2 Borbil | -do- | 144 | 0-0-6 | Path |
| 3. | No. 3 Borbil | -do- | 485 | 0-0-12 | Stream |
| | | | 451 | 0-0-0 | " |
| | | | 452 | 0-1-8 | " |
| | | | 310 | 0-0-8 | Path |
| 4. | Ouguri Part IV | Tipling | 454 | 0-2-8 | Waste land |
| | | | 480 | 0-0-13 | Path |
| 5. | Opar Mamoroni | -do- | 116 | 0-2-12 | Waste land |
| 6. | Mamoroni Part II | -do- | 904 | 0-0-16 | Road Reservation |
| | | | 675 | 0-0-4 | Path |
| 7. | Mamoroni Part I | -do- | 420 | 0-0-5 | Path |
| | | | 414 | 0-0-8 | Path |
| | | | 443 | 0-0-12 | Path |
| | | | 394 | 0-2-12 | Path |
| | | | 476 | 0-0-2 | Waste land |

| Sl. No. Revenue Village | Mouza | Dag No. | Area B-K-L | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 8. Ouguri Part I | Tipling | 1 | 5-0-11 | Waste land |
| | | 15 | 1-0-13 | Waste land |
| | | 3 | 0-4-16 | Waste land |
| | | 637 | 1-1-6 | Reserved land |
| | | 638 | 0-2-1 | Tingrai river |
| 9. WLA No. 33 of 1916/17 Itakhuli Seed Garden | Tipling | 18 | 0-2-11 | Reserved land |
| | | 40 | 0-0-10 | 20/ reservation |
| | | 22 | 0-0-8 | 20/ reservation |
| | | 23 | 0-0-9 | 20/ reservation |
| | | 4 | 0-0-9 | Road |
| | | 27 | 0-0-9 | 20/ reservation |
| 10. Rabarbari Gaon | Tipling | 141 | 0-0-8 | Path |
| | | 94 | 0-0-12 | Road side reserved land |
| | | 96 | 0-0-8 | Road |
| | | 95 | 0-0-3 | Road side reserved land |
| 11. Tingrai Havoda No. 1 | Tipling | 111 | 0-0-3 | -do- |
| | | 110 | 0-0-4 | Road |
| | | 109 | 0-0-6 | Road side reserved land |
| | | 117 | 0-0-10 | Path |
| | | 98 | 0-0-13 | Road side reserved land |
| | | 97 | 0-0-8 | Road |
| | | 56 | 0-0-13 | Road side reserved land |
| | | 47 | 0-0-13 | -do- |
| | | 45 | 0-0-13 | -do- |
| | | 46 | 0-0-8 | Road |
| 12. Tengapani T. E | Tipling | 73 | 0-2-2 | Reserved land |
| 13. No. 2 Haveda | Tipling | 436 | 4-4-9 | Grazing reserve |
| | | 79 | 0-0-3 | Waste land |
| | | 482 | 0-0-11 | Waste land |
| | | 102 | 0-0-4 | Path |
| | | 28 | 0-0-15 | Path |
| | | 11 | 0-0-12 | Stream |
| 14. Lahori Bongali Gaon | Tinsukia | 161 | 0-1-18 | Tingrai river |
| | | 369 | 0-2-18 | Waste land |
| | | 362 | 0-0-5 | Waste land |
| | | 117 | 0-0-6 | Path |
| | | 98 | 0-0-7 | Path |
| | | 132 | 0-1-5 | Waste land |
| 15. Lahori Nepali Gaon | -do- | 236 | 0-0-15 | Stream |
| | | 206 | 6-2-9 | Grazing reserved |
| 16. Pakharijan | -do- | 232 | 5-2-8 | -do- |
| | | 214 | 0-1-10 | Path |
| 17. No. 2 Patia Pathar | -do- | 15 | 0-0-10 | Road |
| | | 14 | 0-0-13 | Road side reserved land |
| 18. No. 1 Patia Pathar | -do- | 2 | 0-4-6 | Rly. reserved land |
| 19. Tinsukia Town | -do- | 405 | 8-3-11 | Rly. reserved land |
| | | 502 | 0-1-5 | Road |
| | | 4588 | 0-2-10 | Rly. reserved land |
| | | 4587 | 0-0-9 | N.F. Rly. line. |
| | | 4586 | 0-2-12 | Rly. reserved land |
| | | 3051 | 0-0-5 | Road |
| | | 3752 | 0-0-5 | Road |
| | | Total Area : | 45-0-3 | |

[No. O-12016/4/84-Prod.]

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1984

का० आ० 843—पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित प्राधिकारियों को, इस अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अनुसूची के कालम (3) की तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित त्रिपुरा राज्य की सीमाओं के भीतर सक्षम प्राधिकारियों का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

| प्राधिकारी | पता | क्षेत्राधिकार |
|---|---|---|
| 1. भूमि अधिग्रहण कलक्टर | पश्चिम त्रिपुरा डाकखाना अगरतल्ला पिन-799001 | पश्चिम त्रिपुरा जिला त्रिपुरा राज्य |
| 2. भूमि अधिग्रहण कलक्टर | दक्षिण त्रिपुरा डाकखाना आर० के० पुर० जिला दक्षिण त्रिपुरा पिन-799120 | दक्षिण त्रिपुरा, जिला त्रिपुरा राज्य |
| 3. भूमि अधिग्रहण कलक्टर | उत्तर त्रिपुरा डाकखाना केलाशहर पिन-799277 | उत्तर त्रिपुरा जिला त्रिपुरा राज्य |

[संख्या ओ- 11011/3/83 - उत्पादन]
विनय बंसल, निदेशक

New Delhi, the 3rd March, 1984

S. O. 843:— In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorises the authorities mentioned in column (1) of the Schedule below to perform the functions of the Competent Authorities under the said Act within the limits of the State of Tripura mentioned in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule:

SCHEDULE

| Authority | Address | Territorial Jurisdiction |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Land Acquisition Collector | West Tripura, P.O. Agartala, Pin : 799001. | West Tripura District Tripura State. |
| 2. Land Acquisition Collector | South Tripura, P.O. R.K. Pur, Distt: South Tripura Pin : 799120 | South Tripura, District, Tripura State. |
| 3. Land Acquisition Collector | North Tripura, P.O. Kailashahar. Pin : 799 277. | North Tripura District, Tripura State |

[No. O-11011/3/83—Prod.]
VINAY BANSAL, Director

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1984

का० आ० 844.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 1 अगस्त, 1981 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2087, तारीख 16 जुलाई, 1981 द्वारा इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 960.00 एकड़ (लगभग) या 388.50 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि की बाबत कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और, उक्त भूमि की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई थी,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 अगस्त, 1983 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट नक्शे चार्ट और अन्य दस्तावेजें राजस्व अधिकारी सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) को इस अधिसूचना के राजस्व में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर परिदत्त करेंगे ।

अनुसूची

सुगिया खण्ड

(पश्चिमी ओकारो कोयला क्षेत्र)

| क्रम सं० | ग्राम | थाना | थाना संख्यांक | जिला | क्षेत्र | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सुगिया | मांडु | 177 | हजारीबाग | 960.00 | भाग |

कुल क्षेत्रफल : 960.00 एकड़ (लगभग)
या 388.50 हैक्टर (लगभग)

सीमा वर्णन :

क-ख रेखा नाले की भागतः मध्य रेखा के साथ-साथ जाती है (जो कर्मा और सुगिया ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा और बुराखप और सुगिया ग्रामों की सम्मिलित सीमा है) और बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

ख-ग रेखा दामोदर नदी की मध्य रेखा के साथ जाती है (जो सुगिया और कैथा, सुगिया और गोबरदाहा, सुगिया और हाहुआ ग्रामों की सम्मिलित सीमा तथा सुगिया और सौधमा ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा है) और बिन्दु "ग" पर मिलती है ।

ग-घ

घ-ङ रेखाएं दामोदर नदी से होकर सुगिया ग्राम से होकर जाती हैं (जो सुगिया कोयला खान की पट्टाधृत सीमा के साथ सम्मिलित सीमा है) और बिन्दु "ङ" पर मिलती है ।

ङ-छ रेखा दामोदर नदी की भागतः मध्य रेखा के साथ-साथ जाती है (जो लोधमा और सुगिया ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा है) और बिन्दु "छ" पर मिलती है ।

छ-ज रेखा, नाले की भागतः मध्य रेखा के साथ जाती है (जो सुगिया और मार्की डुन्डी ग्रामों की भागतः सम्मिलित सीमा है) और बिन्दु "ज" पर मिलती है ।

ज-क रेखा सुगिया ग्राम से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु 'क' पर मिलती है ।

टिप्पण : 1 रेखाचित्र सं० 42/81-ता० 13-4-81 (जिसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि वर्णित की गई है) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) और कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[सं० 19/20/81-सी०एल०]

समय सिंह,
अवर सचिव

(Department of Coal)

New Delhi, the 1st March, 1984

S.O. 844.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 2087 dated the 16th July, 1981 under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 1st August, 1981, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 960.00 acres (approximately) or 388.50 hectares (approximately) in the locality specified in the Schedule appended hereto;

And whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act has been given;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 1st August, 1983, as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands;

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13, of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Ltd., Darbhanga House, Ranchi (Bihar) within 90 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Sugia Block

(West Bokaro Coalfield)

| Serial Number | Village | Thana Number | Thana | District | Area | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sugia Mandu | 177 | Hazaribagh | | 960,00 | Part |
| | Total Area | | | | 960,00 | acres (approximately) |
| | or | | | | 388,50 | hectares (approximately) |

Boundary description :—

A-B. line passes along the part central line of Nala (which forms part common boundary of villages Karma and Sugia) and common boundary of village Burakhap and Sugia) and meets at point 'B'.

B-C. line passes along the part central line of Damodar River (which forms common boundary of villages Sugia and Kaitha, Sugia and Gobardaha, Sugia and Hahun and part common boundary of villages Sugia and Lodhma) and meets at point 'C'.

C.D.E.F. lines pass through Damodar River, through village Sugia (which forms common boundary with the lease hold boundary of Sugia Colliery) and meets at point 'F'.

F-G. line passes along the part central line of Damodar River (which forms part common boundary of villages Lodhma and Sugia) and meets at point 'G'.

G-H. line passes along part central line of Nala (which forms part common boundary of villages Sugia and Bakri Dundi) and meets at point 'H'.

H-A. line passes through village Sugia and meets at starting point 'A'.

NOTE.—1 Drawing No. 42/84 dated 13-4-81 (showing Land notified for prospecting) can be seen at the office of the Central Coalfields Ltd., Darbhanga House, Ranchi (Bihar) and the Coal Controller 1, Council House Street, Calcutta.

[No. 19/20/81-CL]

का० आ० 845.—कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के भूतपूर्व इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय (खान और ईंधन विभाग) के सा० का० नि० सं० 1933 दिनांक 10 जून, 1957, सा० का० नि० सं० 158 दिनांक 2 जनवरी, 1958, सा० आ० सं० 2434 दिनांक 26 सितम्बर, 1960 और भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्रालय (खान और धातु विभाग) के सा० आ० सं० 2837 दिनांक 11 अगस्त, 1964, सा० आ० सं० 3501 दिनांक 4 नवम्बर, 1965 और आदेश सं० सी 2-1(27)/57 दिनांक 15 जुलाई, 1957, सं० सी 2-1(6)/58 दिनांक 12 मार्च, 1958, सं० सी 2-1(5)/59 दिनांक 23 जुलाई, 1959, सं० सी-2-1(1)/64 दिनांक 6 मई, 1964 और सी 2-1(1)/64 दिनांक 2 नवम्बर, 1965 की अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश करती है कि उक्त अधिनियम की इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 में निर्विष्ट धाराओं के अधीन प्रयुक्त सभी शक्तियों (या किसी एक शक्ति) अथवा निष्पादित सभी कर्त्तव्यों (या किसी एक कर्त्तव्य) का प्रयोग या निष्पादन उन व्यक्तियों द्वारा भी किया जाएगा जो उक्त अनुसूची के कालम 4 की तदनुरूपी प्रविष्टि के सामने निर्विष्ट किए गए हैं ;

किंतु प्रावधान यह है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रयोग और निष्पादन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन पर ही किया जाएगा जबकि राजस्व प्रमुख, अपर प्रमुख (राजस्व), उपप्रमुख (राजस्व) और सहायक-प्रमुख (राजस्व) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 21 के अधीन शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रयोग और निष्पादन ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, के अंतर्गत किया जाएगा जो सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०, रांची के प्रबंध निदेशक और/अथवा निदेशकों द्वारा लिखित रूप में आदेश करके विनिर्दिष्ट और निर्देशित की गई हों ।

अनुसूची

| क्रम सं० | अधिनियम की धारा | संक्षेप में नियत कार्य का स्वरूप | जिन व्यक्तियों को शक्तियां प्रत्यायित की गई हैं उनके पदनाम और कार्यालय के पते |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 14(1) | मुआवजा निर्धारित करने की पद्धति | प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०, रांची |
| | | | निदेशक ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | राजस्व प्रमुख, प्रबंध निदेशक |
| | | | अतिरिक्त प्रमुख, सेंट्रल कोलफील्डस |
| | | | (राजस्व) लि० रांची |
| | | | उप प्रमुख |
| | | | (राजस्व) ,, |
| | | | सहायक प्रमुख ,, |
| | | | (राजस्व) ,, ,, |
| 2. | 14(4) | मुआवजे के संबंध में न्यायाधिकरण के समक्ष विवरण-पत्र | प्रबंध निदेशक ,, ,, |
| | | | निदेशक, ,, ,, |
| | | | राजस्व-प्रमुख ,, ,, |
| | | | अतिरिक्त प्रमुख |
| | | | (राजस्व) ,, ,, |
| | | | उप-प्रमुख |
| | | | (राजस्व) ,, ,, |
| | | | सहायक प्रमुख |
| | | | (राजस्व) ,, ,, |
| 3. | 16 | न्यायाधिकरण के फैसले पर ब्याज का भुगतान | प्रबंध निदेशक,, ,, |
| | | | निदेशक, ,, ,, |
| | | | राजस्व प्रमुख ,, ,, |
| | | | अतिरिक्त प्रमुख |
| | | | (राजस्व) ,, ,, |
| | | | उप-प्रमुख |
| | | | (राजस्व) ,, ,, |
| | | | सहायक प्रमुख |
| | | | (राजस्व) ,, ,, |
| 4. | 17 | मुआवजे का भुगतान | ,, ,, |
| | | | निदेशक ,, ,, |
| | | | राजस्व प्रमुख ,, ,, |
| | | | अतिरिक्त प्रमुख |
| | | | (राजस्व) ,, ,, |
| | | | उप प्रमुख |
| | | | (राजस्व) ,, ,, |
| | | | सहायक प्रमुख |
| | | | (राजस्व) ,, ,, |
| 5. | 21 | सूचना प्राप्त कराने की शक्ति | प्रबंध निदेशक ,, ,, |
| | | | निदेशक ,, ,, |
| | | | राजस्व प्रमुख ,, ,, |
| | | | अतिरिक्त प्रमुख |
| | | | (राजस्व) प्रबंध निदेशक, |
| | | | उप प्रमुख सेंट्रल कोलफील्डस |
| | | | (राजस्व) ,, लि०, रांची |
| | | | सहायक प्रमुख |
| | | | (राजस्व) ,, ,, |
| | | | कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता |
| | | | उप-कोयला नियंत्रक ,, ,, |

[सं० 19/54/83-सी० एन०]

समय सिंह, अवर सचिव

S.O. 845.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), and in supersession of the Notifications of the Government of India in the late Ministry of Steel, Mines and Fuel (Department of Mines and Fuel) S.R.O. No. 1933 dated the 10th June, 1957, S.R.O. No. 158 dated the 2nd January, 1958, S.O. No. 2434 dated the 26th September, 1960, in the Late Ministry of Steel and Mines (Department of Mines and Metals) S.O. No. 2837 dated the 11th August, 1964, S.O. No. 3501 dated the 4th November, 1965 and Orders No. C-2-1(27)/57 dated the 15th July, 1957, No. C-2-1(6)/58 dated the 12th March, 1958, No. C2-1(5)/59 dated the 23rd July, 1959, No.C-2-1(1)/64 dated the 6th May, 1964 and C-2-1(1)/64 dated the 2nd November, 1965, the Central Government hereby directs that all or any of powers or duties which may be exercised or discharged by the said Government under such of sections of the said Act as are specified in column 2 of the Schedule hereto annexed shall be exercised or discharged also by the persons specified against in the corresponding entry in column 4 of the said Schedule :

Provided that the exercise and discharge of powers and duties under sub-section (1) of section 14 of the said Act shall be subject to the previous approval of the Central Government whereas the exercise and discharge of powers and duties under section 21 of the said Act by the Chief of Revenue, Additional Chief (Revenue), Deputy Chief (Revenue) and Assistant Chief (Revenue) shall be in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified and directed by order, in writing, by the Managing Director and/or the Directors of the Central Coal Fields Limited, Ranchi.

## SCHEDULE

| Sl. No. | Section of the Act | Nature of assignment in brief | Designation and official address of the persons delegated with powers |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 14(1) | method of determining compensation | Managing Director, Central Coalfields Ltd., Ranchi. |
| | | | Directors, ,, ,, |
| | | | Chief of Revenue, ,, ,, |
| | | | Additional Chief (Revenue), ,, ,, |
| | | | Deputy Chief (Revenue), ,, ,, |
| | | | Assistant Chief (Revenue), ,, ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 14(4) | Statement before the Tribunal regarding compensation. | Managing Directors, | Central Coalfields Limited, Ranchi. | |
| | | | Directors, | ,, | ,, |
| | | | Chief of Revenue, | ,, | ,, |
| | | | Additional Chief (Revenue), | ,, | ,, |
| | | | Deputy Chief (Revenue), | ,, | ,, |
| | | | Assistant Chief (Revenue), | ,, | ,, |
| 3. | 16 | Payment of interest on award of the Tribunal | Managing Director, | ,, | ,, |
| | | | Directors, | ,, | ,, |
| | | | Chief of Revenue, | ,, | ,, |
| | | | Additional Chief (Revenue), | ,, | ,, |
| | | | Deputy Chief (Revenue), | ,, | ,, |
| | | | Assistant Chief (Revenue), | ,, | ,, |
| 4. | 17 | Payment of Compensation | Managing Director, | ,, | ,, |
| | | | Diriectors, | ,, | ,, |
| | | | Chief of Revenue, | ,, | ,, |
| | | | Additional Chief (Revenue), | ,, | ,, |
| | | | Deputy Chief (Revenue), | ,, | ,, |
| | | | Assistant Chief (Revenue), | ,, | ,, |
| 5. | 21 | Power to obtain information | Managing Director, | ,, | ,, |
| | | | Directors, | ,, | ,, |
| | | | Chief of Revenue, | ,, | ,, |
| | | | Additional Chief (Revenue), | ,, | ,, |
| | | | Deputy Chief (Revenue), | ,, | ,, |
| | | | Assistant Chief (Revenue), | ,, | ,, |
| | | | Coal Controller | 1, | Council House Street, Calcutta. |
| | | | Deputy Coal Controller | ,, | ,, |

[No. 19/54/83-CL]

नई दिल्ली, 2 मार्च 1984

का० आ० 846.—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० 2843 दिनांक 15 जुलाई, 1982 द्वारा उस अधिसूचना—जो भारत के राजपत्र, भाग 2 खंड 3 उपखंड (ii) दिनांक 7 अगस्त, 1982 में प्रकाशित की गई थी—से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की 349.00 एकड़ (लगभग) या 141.23 हेक्टेयर (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्य है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 349.00 एकड़ (लगभग) या 141.23 हेक्टेयर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है।

टिप्पण 1: इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखांक का निरीक्षण, उपायुक्त, गिरीडीह (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में अथवा सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

टिप्पण-2: कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंधित है—

"8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:

इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं की जानी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता

को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई है, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते।"

टिप्पण-3 केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

गुंजरडीह ब्लाक विस्तार

(पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र)

बिहार

रेखांकित सं० राजस्व/14/83

दिनांक 30-5-1983

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दर्शित की गई)

सभी अधिकार

| क्र० ग्राम सं | थाना | थाना सं० | जिला | क्षेत्र | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. माकोली | नवाडीह (बेरमो) | 69 | गिरीडीह | 52.25 | भाग |
| 2. गुंजरडीह | नवाडीह (बेरमो) | 72 | गिरीडीह | 230.25 | भाग |
| 3. चपरी | नवाडीह (बेरमो) | 73 | गिरीडीह | 66.50 | भाग |
| | कुल क्षेत्र | 349.00 एकड़ (लगभग) या 141.23 हेक्टर (लगभग) | | | |

ग्राम माकोली में अर्जित की जाने वाले प्लाटों की संख्या 1(भाग)
ग्राम गुंजरडीह में अर्जित की जाने वाले प्लाटों की संख्या 212(भाग)
ग्राम चपरी में अर्जित की जाने वाले प्लाटों की संख्या : 1440(भाग)

सीमा वर्णन

| | |
|---|---|
| क-ख | रेखा ग्राम चपरी में प्लाट सं० 763,764,767 और 766 से होकर जाती है और बिंदु "ख" पर मिलती है। |
| ख-ग-घ-ङ-च | रेखाएं ग्राम चपरी में प्लाट सं० 1440 में से माकोली ग्राम में प्लाट सं०-1 और गुंजरडीह ग्राम में प्लाट सं 212 से होकर जाती है (जो कोयला अधिनियम की धारा 9) (1) के अधीन अर्जित गुंजरडीह की सम्मिलित सीमा है और बिंदु "च" पर मिलती है। |
| च-छ-ज | रेखाएं ग्राम गुंजरडीह से होकर जाती है और बिंदु "ज" पर मिलती है। |
| ज-झ | रेखा ग्राम गुंजरडीह के प्लाट सं० 160,155 की पूर्वी सीमा प्लाट सं० 158 की पूर्वी और दक्षिणी सीमा प्लाट सं० 153 और 152 की दक्षिणी सीमा प्लाट सं० 155, प्लाट सं० 91,78 की पूर्वी सीमा प्लाट सं० 77,78, प्लाट सं० 76 की उत्तरी सीमा पूर्वी और दक्षिणी सीमा, प्लाट सं० 80 की भागतः पूर्वी और दक्षिणी सीमा, प्लाट सं० 71,72 73 की पूर्वी सीमा, प्लाट सं० 74 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ और भागतः दक्षिणी सीमा प्लाट सं० 212 और प्लाट सं० 75 की भागतः पूर्वी सीमा से होकर जाती है और बिंदु "झ" पर मिलती है। |
| झ-ट-ठ-ड | रेखाएं ग्राम गुंजरडीह और माकोली, चपरी और माकोली की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है और बिंदु "ड" पर मिलती है। |
| ड-ढ | रेखा निमरी नदी के भागतः दायें किनारे के साथ-साथ जाती है और बिंदु "ढ" पर मिलती है। |
| ढ-क | रेखा ग्राम चपरी के प्लाट सं० 1440 से होकर जाती है और प्रारंभिक बिंदु "क" पर मिलती है। |

[सं० 19/39/83-सी० एल०]

समय सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd March, 1984

S.O. 846.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. S.O. 2843 dated the 15th July, 1982, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 7th August, 1982, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave noitce of its intention to prospect for coal in 349.00 acres (approximately) or 141.23 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule appended to that notification ;

And whereas tht Central Government is satisfied that coal is obtainable in the said lands ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Govenment hereby gives notice of its intention to acquire the said lands measuring 349.00 acres (approximately) or 141.23 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto ;

Note 1 : The plan of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Giridih (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-1 or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

Note 2 . Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, (20 of 1957), which provides as follows :—

8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the Notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation : It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector and opportunity of being heard either in person or by a

legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of right in or over such land to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim on interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act".

Note 3 : The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE
Gunjardih Block Extn.
(East Bokaro Coalfield)
(Bihar)
Drg. No. Rev/17/83
Dated : 30-5-83
(Showing lands to be acquired)

All Rights:

| Serial Number | Village | Thana | Thana Number | District | Area | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makoli | Nawadih (Bermo) | 69 | Giridih | 52.25 | Part |
| 2. | Gunjardih | ,, | 72 | Giridih | 230.25 | Part |
| 3. | Chapri | ,, | 73 | Giridih | 66.50 | Part |

Total area: 349.00 Acres (Approximately)
or 141.23 Hectares (Approximately)

Plot number to be acquired in village Makoli : 1 (Part).
Plot number to be acquired in village Gunjardih : 212 (Part).
Plot number to be acquired in village Chapri : 1440 (Part).
Boundary description:—

A—B line passes along eastern boundary of plot numbers 763, 764, 767 and 766 in village Chapri and meets at point 'B'.

B—C—D—E—F lines pass through plot number 1440 in village Chapri, through plot number 1 in avillage Makoli then through plot number 212 in village Gunjardih (which forms common boundary of Gunjardih block acquired u/s 9(1) of the said Act and meet at point 'F'.

F—G—H lines pass through plot number 212 in village Gunjardih and meet at point 'H'.

H—I line passes along eastern boundary of plot numbers 160, 155, eastern and southern boundary of plot number 158, southern boundary of plot number 153, eastern boundary to plot number 155, eastern and southern boundary of plot number 154, southern boundary of plot numbers 153 and 152 southern boundary of plot number 155, eastern boundary of plot numbers 91, 78, eastern and southern boundary of plot numbers 77, Northern boundary Eastern & Southern boundary of 76, part eastern and southern boundary of plot number 80, eastern boundary of plot numbers 71, 72, 73, eastern boundary and part southern boundary of plot number 74, through plot number 218 and part eastern boundary of plot number 75 in village Gunjardih and meets at point 'I'.

I—J—K—L—M lines pass along the part common boundary of villages Gunjardih and Makoli, Chapri and Makoli and meet at point 'M'.

M—N line passes along the part right bank of Tisri Nadi in village Chapri and meet at point 'N'.

N—A line passes through plot number 1440 in village Chapri and meets at Starting point 'A'.

[No. 19/39/83—CL]
SAMAY SINGH, Under Secy.

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1984

का० आ० 847.—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 80 की उपधारा (5) के अनुसरण में, ब्यास परियोजना यूनिट-1 और यूनिट-2 के निम्नलिखित संघटकों को, जिनके सम्बन्ध में निर्माण पूरा हो गया है, उक्त अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 79 के अधीन गठित भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड को 1 मार्च, 1984 से अन्तरित करती है, अर्थात :—

यूनिट-1

(क) अनुलग्न संकर्म सहित जल प्रणाली सुरंगपी-3

(ख) स्टेप-अप व्यवस्थाओं के साथ देहर विद्युत संयंत्र में प्रतिष्ठापित पांचवां और छठा 165 मेगावाट हाइड्रो-जेनरेटर तथा सिविल सकर्म और सहबद्ध उपस्कर, सहायक उपस्कर, लिंक लाइनें और 400/22/132 के० वी० स्विच यार्ड।

(ग) ब्यास सतलुज लिंक परियोजना के सभी-शेष अनुलग्न संकर्म जिसमें सड़कें और अन्य सेवा सुविधाएं सम्मिलित हैं।

(घ) सभी भूकम्प-लेखी केन्द्र, निस्सारण स्थल, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान संबंधी प्रयोगशालाएं तथा बेतार केन्द्र।

(ङ) पंडोह, बग्गी, सुन्दरनगर और सलापड़ में परियोजना कालोनियां जिसमें कालोनियों से संबंधित सभी इमारतें और सेवा सुविधाएं सम्मिलित हैं।

(च) जग्गर और कांगो में हैलीपैड।

यूनिट-2

(क) अनुलग्न संकर्म सहित जल प्रणाली सुरंग पी-3

(ख) स्टेप अप व्यवस्थाओं के साथ तलवाड़ा में पांग विद्युत संयंत्र में प्रतिष्ठापित पांचवां और छठा 60 मेगावाट हाइड्रो-जेनरेटर तथा सिविल संकर्म और सहबद्ध उपस्कर, सहायक उपस्कर, लिंक लाइनें और 220 के० वी० स्विचयार्ड विस्तार-बे।

(ग) 220 के० वी० पोंग जलन्धर लाइन 4 सर्किट।

(घ) ब्यास बांध के शेष सभी अनुलग्न संकर्म जिसमें सड़कें तथा अन्य सेवा सुविधाएं सम्मिलित हैं।

(ङ) तलवाड़ा और संसारपुर में परियोजना कालोनियां जिसमें कालोनियों से संबंधित सभी इमारतें और सेवा सुविधाएं सम्मिलित हैं।

सामान्य

यूनिट-1 और यूनिट-2 के अन्तर्गत व्यास परियोजना के भागरूप ऐसे सभी अन्य संपूरित संघटक जिनका ऊपर विनिर्दिष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है ।

[सं० 21/14/76 जिल्द 3/डी(बी एण्ड बी)]

सरला गोपालन, संयुक्त सचिव

(Department of Power)

New Delhi, the 1st March, 1984

S.O. 847.—In pursuance of sub-section (5) of section 80 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby transfers, with effect from 1st March, 1984, the following components of the Beas Project—Unit I and Unit II in relation to which the construction has been completed, to the Bhakra Beas Management Board constituted under section 79, read with sub-section (6) of section 80 of the said Act, namely :—

Unit—I

(a) Penstock tunnel P-3 alongwith appurtenant works.

(b) Fifth and Sixth 165 MW Hydro-generators installed at Dehar Power Plant with step up arrangements alongwith civil works and allied equipment, auxiliary equipment, link Lines and 400/220/132 KV Switch Yards.

(c) All remaining appurtenant works of B.S.L. Project including roads and other service facilities.

(d) All Seismograph Stations discharge sites meteorological, hydrological laboratories alongwith wireless stations.

(e) Project Colonies at Pandoh, Baggi, Sundernagar and Slapper including all buildings and service facilities relating to colonies.

(f) Helipads at Jagger and Kango.

Unit—II

(a) Penstock tunnel P-3 alongwith appurtenant works.

(b) Fifth and Sixth 60 MW Hydrogenerators installed at Pong Power Plant at Talwara with step up arrangements alongwith Civil works and allied equipment, auxiliary equipment, link lines and 220 KV switch yards extension bays.

(c) 220 KV Pong Jullundur line IV Circuit.

(d) All remaining appurtenant works of Beas Dam including roads and others service facilities.

(e) Project colonies at Talwara and Sansarpur including all buildings and service facilities relating to the colonies.

General

All other completed components forming a part of the Beas Project under Units I and II not specifically stated above.

[21/14/76-Vol. III/D(B&B)]

SARALA GOPALAN, Jt. Secy.

## खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1984

का० आ० 848.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन सेन्ट्रल इंडिया कमर्शियल एक्सचेंज लि०, ग्वालियर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गए आवेदन पर, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को गुड़ की अग्रिम संविदाओं के बारे में 18 मार्च, 1984 से 17 मार्च, 1987 तक (जिसमें से दोनों दिन शामिल है) की तीन वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्यधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जाएं ।

[मिसिल सं० 12(1)-आई०टी०/84]

के० एस० बाजवा, उप सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 17th March, 1984

S.O. 848.—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Central India Commercial Exchange Ltd., Gwalior, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of three years from 18th March, 1984 to 17th March, 1987 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(1)-IT/84]

K. S. BAIWA, Dy. Secy.

## पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1984

का० आ० 849.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं० एस० ओ० 3126 दिनांक 30 सितम्बर, 1981 के आंशिक आशोधन में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में उल्लिखित अधिकारी को सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के बराबर का अधिकारी नियुक्त करती है जो उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारी होंगे जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के बारे में अपने कार्यक्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अंतर्गत संपदा अधिकारी के लिए अधिरोपित कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे ।

सारणी

| अधिकारी का नाम | सरकारी स्थान की श्रेणी और कार्यक्षेत्र की स्थानीय सीमाएं |
|---|---|
| 1 | 2 |
| महा प्रबंधक (संपदा) होटल प्रभाग, भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जीवन विहार, 3 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 | भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने अथवा उनके द्वारा पट्टे पर लिए गए सभी परिसर जो दिल्ली और चण्डीगढ़ के संघ शासित क्षेत्रों और जम्मू तथा कश्मीर, हरियाणा, पंजाब हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्यों में अवस्थित हों। |

[सं० यू० 11015/6/78-पीएसयू (टी)]
शादी लाल चोपड़ा निदेशक

## MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 20th February 1984

S.O. 849.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in partial modification of the notification No. S.O. 3126 dated 30th September, 1981, issued by the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation, the Central Government hereby appoint the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of gazetted officer of the Government to be Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of Public Premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

| Designation of the Officer | Categories of Public Premises and local limits of the jurisdiction |
|---|---|
| (1) | (2) |
| General Manager (Estates), Hotels Division, India Tourism Development Corporation Limited, Jeevan Vihar, 3-Parliament Street, New Delhi-110001. | All premises belonging to or taken on lease by India Tourism Development Corporation Limited and situated in the Union Territories of Delhi and Chandigarh and the States of Jammu and Kashmir, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan. |

[No U-11015/6/78-PSU(T)]
S. L. CHOPRA, Director

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1984

का० आ० 850.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(1) और चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 8 के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित नियम 7 के उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को अगले आदेश तक, फिल्म प्रमाणन बोर्ड से परामर्श करने के बाद, उक्त बोर्ड के त्रिवेन्द्रम सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त करती है —

1. श्री राजकृष्णन्
2. डा० एन० ए० करीम
3. श्री पी० के० बालकृष्णन
4. श्री चेम्पनम चैको
5. डा० जार्ज ओनाक्कूर सुदर्शन
6. श्री पेरुम्बदावन श्रीधरण
7. श्री विजयकृष्णन
8. श्री कल्लीक्काडू रामचन्द्रन
9. प्रो० के० वी० हरीदासन
10. श्रीमती राजेश्वरी मेनन
11. श्री टी० राजन पेडुवल
12. डा० एम जी० पिल्लै
13. श्रीमती सुगथा कुमारी

[फाइल संख्या 811/4/83-एफ(सी)]
के० एस० वेंकटरामन, अवर सचिव

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 27th February, 1984

S.O. 850.—In exercise of the powers conferred by section 5 (1) of the Cinematograph Act, 1952 and sub-rule (3) of rule 7 read with sub-rules (1) and (2) of rule 8 of the Cinematograph (Certification) Rules 1983, the Central Government hereby appoints the following persons after consultation with the Board of Film Certification, as members of the Advisory Panel of the said Board at Tribandrum with immediate effect until further orders:—

1. Shri Rajakrishnan
2. Dr. N. A. Karim
3. Shri P. K. Balakrishnan
4. Shri Chemmanam Chacko
5. Dr. George Onakkoor Sudarsana
6. Shri Perumbadavan Sreedharan
7. Shri Vijayakrishan
8. Shri Kallikkadu Ramachandran
9. Prof. K. V. Haridasan
10. Smt. Rajeswari Menon
11. Shri T. Rajan Poduval
12. Dr. M. G. Pllai
13. Smt. Sugatha Kumari

[File No. 811/4/83-F(C)]
K. S. VENKATARAMAN, Under Secy.

## श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय

((श्रम विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1984

का०आ० 851.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में संयुक्त प्रबन्धक (पत्तन प्रचालन), भारतीय खाद्य निगम, मद्रास से सहबद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० अरुलराज होंगे, जिसका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या संयुक्त प्रबन्धक (पत्तन प्रचालन), भारतीय खाद्य निगम, चेन्नाई हाउस, मद्रास-600001, तमिलनाडु की नीचे दी गई सूची के अनुसार 64 वैक्यूटर कर्मकारों को 25-11-1981 से सामान्य एवं नियमित रोजगार देने से इन्कार करने की कार्यवाही वैध, उचित और न्यायपूर्ण है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?"

कर्मकारों की सूची

1. अरतोर रोस्सित्त
2. एस० श्री निवासन
3. एस०टी० उम्मेर
4. ए०के० रविन्द्रन
5. आर० कानन
6. आर०एम० रघुनाथन
7. सी०के० चाको
8. एम०सी० जोसेफ
9. सी०एम० मैथ्यू
10. आर० सुब्रामानी
11. के० बी० सुलेमान
12. ए० इरुदयाम
13. के० शिवनन्दन
14. टी० गणपति
15. एच० चिनासामी
16. एन० रथिनाम
17. एस० नुरुद्दीन
18. एम० मणिकमा
19. के० वेलुधन नायर
20. आर० मुरुगयान
21. के० अदाप्पन
22. के० श्रीधरण पिलाई
23. ओ० ब्रह्मदास
24. जे० चेलैयाह
25. के०जे० गनारधनन पिलाई
26. के० सोमनि
27. पी० इदगार
28. के०ओ० कल्याणायन
29. मुथु हरकप्पन
30. के संथानम
31. के० रामाचन्द्रन
32. पी० मलाई चामी
33. के०जे० साइरिल
34. पी० रवि
35. के० शंकर
36. ए० करण
37. ए० मणि
38. एम० राधाकृष्णन
39. बी० गोपालकृष्णन
40. सी० कुमार
41. एम० सैयद मोहम्मद
42. के० एन० गोपालकृष्णन
43. एन० इजुमलाई
44. पी० धनाकोडी
45. एन० बालारमन
46. के० गनारधनन पिलाई
47. पी० इजुमलाई
48. जी० गेगेनदरन
49. एम० सुन्दरम
50. एस० चक्रपाणी
51. रामचन्द्रन
52. ए०टी० प्रकाशन
53. आर० सुन्दरम
54. के० अमुलवास
55. आर० मुरुगन
56. एन० नागाप्पन
57. के० एम० बशीर
58. पी०एम० अहमद
59. एस० देवन
60. पी० शनमुघम
61. पी० बलान
62. बी० गणेशन
63. एन० थिरुमलाई
64. जी०टी० मुनुस्वामी

[सं० एल-42011/22/82-डी-2(बी)डी-4(बी)]

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

ORDER

New Delhi, the 6th February, 1984

S.O. 851.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Joint Manager (Port Operations), Food Corpn. of India, Madras and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Arulraj shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether refusal by the Joint Manager (Port Operations), Food Corporation of India, Chennai House, Madras-600 001 Tamil Nadu to provide normal and regular jobs to sixty four vacuator workers, Listed below w.e.f. 25-11-1981, is legal, proper and justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

LIST OF WORKERS

1. Aurtor Rossitte
2. S. Srinivasan
3. S. T. Ummer
4. A. K. Ravindran
5. R. Kannan
6. R.M. Raghunathan
7. C. K. Chacko
8. M.C. Joseph
9. C. S. Mathew
10. R. Subramani
11. K.B. Sulaiman
12. A. Irudayam
13. K. Sivanandan
14. T. Genapathy
15. N. Chinnasami
16. N. Rathinam
17. S. Noorudeen
18. M. Manichma
19. K. Velayudhan Nair
20. R. Murugayyan
21. K. Adappan
22. K. Sreedharan Pillai
23. O. Brahmadas
24. J. Chellaiah
25. K. J. Genardhanan Pillai
26. K. Soman
27. P. Edgar

28. K.O. Chandanathan
29. Muthu Iruoppan
30. K. Santhanam
31. K. Ramachandran
32. P. Malai Chamy
33. K. J. Cyril
34. P. Ravi
35. K. Sankar
36. A. Karnan
37. A. Mani
38. M. Radhakrishnan
39. V. Gopalakrishnan
40. C. Kumar
41. M. Saidu Mohamed
42. K.N. Gopalakrishnan
43. N. Ezhumalai
44. P. Dhanakodi
45. N. Balaraman
46. K. Genardhanan Pillai
47. P. Ezhumalai
48. G. Gegendran
49. M. Sundarm
50. S. Chakrapani
51. Ramachandran
52. A. T. Prakasam
53. R Sundaram
54. K. Amul Das
55. R. Murugan
56. N. Nagappan
57. K.M. Basheer
58. P. M. Ahamed
59. S. Deva
60. P. Shanmugham
61. P. Balan
62. V. Genasan
63. N. Thirumalai
64. G. T. Munusamy

[No. L-42011 (22)/82-D. II (B)/D. IV (B)]

New Delhi, the 28th February, 1984

S.O. 852.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of J. K. Ropeways of Messrs Eastern Coalfields Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th February, 1984.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 60 of 1983

PARTIES :

Employers in relation to the management of J. K. Ropeways of Eastern Coalfields Ltd.,

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh.—Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Mr. G. N. Singh, Deputy Personnel Manager.

On behalf of Workmen.—Absent.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal.

AWARD

By Order No. L-19011(5)|83-D.IV(B) dated 6|20-12-1983, the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of J. K. Ropeways of Eastern Coalfields Ltd., Post Office Kajoragram, District Budrwan (WB) in not upgrading the 14 heavy vehicle drivers listed below and placing them in Cat. VI or its equivalent grade i.e. Tech. C as per NCWA-II w.e.f. 11-12-82, or as the case may be, from 20-12-1982, is justified? If not, to what relief they are entitled?"

LIST OF THE DRIVERS

| Sl. No. | Name Sh. |
|---|---|
| 1. | Sankar Singh |
| 2. | Shyamlal Singh |
| 3. | Jagadish Thakur |
| 4. | Rampujan Shaw |
| 5. | Bijoy Bouri |
| 6. | Beldeo Mahato |
| 7. | Bhola Mandal |
| 8. | Ashoka Mukherjee |
| 9. | Kanai Gope |
| 10 | Kartick Farfaria |
| 11. | Kalipada Bouri |
| 12. | Jangla Majhi |
| 13. | Jagadish Singh |
| 14. | Hari Ram. |

2. The memorandum of settlement was filed by the parties concerned before this Tribunal on 9-2-1984. The settlement is put up-to-day before me for recording the same. Both sides pray that an award be passed in terms of the settlement as embodied in the compromise petition dated 8-2-1984. I have perused the terms of settlement. The settlement is fair and proper. I accept it and pass award in terms thereof. The compromise petition is made a part of this award. The reference is thus disposed of in terms of the settlement dated 8-2-1984. The compromise petition shall form part of this award and marked as annexure "A".

This is my award.

Dated, Calcutta,

The 14th February, 1984.

M. P. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-19011(5)/83-D. IV(B)]

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 60 of 1983

PARTIES :

Employers in relation to the Management of J. K. Ropeways of Eastern Coalfields Ltd.

AND

Their workmen.

The employers beg to state that :—

1. The dispute has already been mutually settled and the eligible persons have been promoted in due Categories/Grade.

2. In this regard already a Bipartite settlement with the C.M.S.I. (CITU) Union who had raised the dispute, has been made on 6-5-1983 and the memorandum of settlement under I.D. (Central) Rules 1956 has been forwarded to Asstt. Labour Commissioner (C), Raniganj, Regional Labour Commissioner (C), Asansol, Chief Labour Commissioner (C), New Delhi, and Chief Secretary Govt. of India, New Delhi, Ministry of Labour for registration of such settlement.

In the above circumstances we pray that there is no dispute at present and award may kindly be given accordingly.

Sd/-
For & on behalf of
the workmen.
(T. DEV, Asstt. Secy. CMSI (CITU))

Sd/-
For & on behalf of
Employer.
G. N. SINGH, Dy. P. M.
Office of G.M.(S&K)
J. K. ROPEWAYS

New Delhi, the 29th February, 1984

S.O. 853.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Chinakuri Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th February, 1984.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 52 of 1982

PARTIES :

Emloyers in relation to the management of Chinakuri Colliery of M/s. E.C.L.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh.—Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Mr. B. N. Lala, Advocate.

On behalf of Workmen.—Absent.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal.

AWARD

By Order No. L-19012(61)/82-D. IV(B) dated 22 July, 1982, the Government of India, Ministry of Labour, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the Agent, Chinakuri Colliery, Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Sunderchak District Burdwan in not regularising S/Shri Kamal Singh and 19 others (as per list) and not fixing proper wages with annual increment with arrears arising out of it as time-rated workmen since November '78 is justified ? If not, to what relief the workmen are entitled ?

LIST OF WORKMEN

| | Category | Designation |
|---|---|---|
| 1. Kamal Singh | Piece-rate | Driller |
| 2. Darson Mahato | -do- | Tyndal |
| 3. Gokul Bouri | -do- | Trammer |
| 4. Ramadeo Paswan | -do- | Driller |
| 5. Haru Shaw | -do- | -do- |
| 6. Deo Nandan Prasad | -do- | Pump Khalasi |
| 7. Ramdhani Nunia | -do- | Dresser |
| 8. Baleswar Gope | -do- | Tyndal-cum Driller |
| 9. Lakhan Paswan | -do- | Tyndal |
| 10. Sukhdeo Bhuiya | -do- | Explosive carrier |
| 11. Biru Tudu | -do- | Driller-cum-Dresser |
| 12. Sukhu Hembram | -do- | -do- |
| 13. Manjula Murmu | -do- | Explosive carrier |
| 14. Joylal Nunia | -do- | Tyndal |
| 15. Sitaram Paswan | -do- | Trammer |
| 16. Dwarika Jaday | -do- | Driller |
| 17. Baburam Bhuiya | -do- | Driller-cum-Dresser |
| 18. Madan Bhari | -do- | -do- |
| 19. Idlu Bouri | -do- | Explosive carrier |
| 20. Nanka Das | -do- | -do- |

2. When the case is taken up for hearing, Mr. B. N. Lala, the learned advocate appearing for the management, submits that the union seems to be no longer interested in the case since the issue referred to this Tribunal for adjudication has already been settled by the management with another union. It appears that the union has not yet filed its written statement nor has taken any step for filing the same.

3. In view of above, a "no dispute award" is passed in the case.

This is my award.

Dated. Calcutta.

The 14th February, 1984.

M. P. SINGH, Presiding Officer
[No. L-19012/61/82-D. IV(B)]
C. D. BHARDWAJ, Desk Officer

New Delhi, the 29th February, 1984

S.O. 854.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Life Insurance Corporation of India, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd February, 1984.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No. 18 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Life Insurance Corporation of India :

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh, Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Mr. S. Sarkar, Advocate, with Mr. H. C. Paul, Asstt. Secretary (Law), and Mr. P. K. Sen Gupta, an officer of the L.I.C.

On behalf of Workmen—Mr. Sukumar Mukherjee, with Mr. Nepal Ghosh, Joint Secretary of the Union.

STATE : West Bengal. INDUSTRY : Insurance.

AWARD

By Order No. L-17012/18/81-D.IV(A), dated 20th May, 1982, the Government of India, Ministry of Labour, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the actions of the management of Life Insurance Corporation of India, Divisional Office, Calcutta in (i) imposing the punishment of censure, (ii) recovering the alleged loss of Rs. 1800, (iii) transferring from Cash Department to Accounts Department with effect from 20-5-77 and (iv) deferring the stagnation increment for one year with effect from 5-6-79 in relation to Shri Niranjan Biswas, Cashier are justified ? If not, to what relief(s) is the workman concerned entitled ?".

2. The memorandum of settlement was filed by the parties before this Tribunal on 9-2-1984. The settlement is put up today before me for recording the same. Both sides pray that an award be passed in terms of the settlement as embodied in the compromise petition dated 8-2-1984. I have perused the terms of settlement. The settlement is fair and proper. I accept it and pass award in terms of the settlement dated 8-2-1984. The compromise petition shall form part of this award and marked as annexure "A"

This is my Award.

Dated, Calcutta,

The 14th February, 1984.

M. P. SINGH, Presiding Officer
[No. L-17012/18/81-D.IV(A)]
S. S. PRASHER, Desk Officer

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE LEARNED CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, WEST BENGAL

In the matter of :

Reference No. 18 of 1982

AND

In the matter of :

Sri Niranjan Biswas.

Versus

The Life Insurance Corporation of India.

The humble joint petition of the parties abovenamed.
Most Respectfully Sheweth :—

1. That this Honble Tribunal was pleased to observe as to whether the pending dispute could be settled by the parties amicably out of the Court.

2. Thereafter the parties have matually arrived at a Memoradum of Settlement out of the courts to their satisfactions. The original copy of the Settlement is filed herewith.

It is therefore, prayed that this Hon'ble Tribunal may be graciously pleased to be pass an Award in terms of the Memorandum of Settlement and pass any other order or orders deem fit and proper.

For this act of kindness your petitioners shall ever pray.

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

parties to the Settlement:

(1) Life Insurance Corporation of India of 16, Chittaranjan Avenue, Calcutta-700072.

Represented by:—

1. Mr. H. C. Paul, Asstt.Secretary (Law)

(2) Life Insurance Corporation Employees Association (Calcutta Division), Andhra Insurance Buildings, 12, Chowringhee Square, Calcutta-700069.

Represented by : (1) Sri Nepal Ghosh, It Secy.

2. Sri Niranjan Biswas

Short Recital : That during the pendency of the reference No. 19 of 1982 before this Learned Tribunal and after the departmental enquiry finding Sri Niranjan Biswas quilty of the charges levelled against him by a charge sheet dated 23-5-1977 was held by the Tribunal as vitiated and void by an order dt. 3-6-1983, the Learned Tribunal was pleased to observe that whether any mutual settlement is possible between the parties particularly keeping in veiw that the concerned employee will be retired from 1st March, 1984. Thereafter, following bipartite discussion and approval of the Central Office at Bombay the dispute is amicably settled on the following terms and conditions.

TERMS OF SETTLEMENT

1. The concerned employee Sri Niranjan Biswas will be paid a consolidated sum of Rs. 5,000 in full and final settlement of the claim of disputes arising out of the reference No. 18 of 1982.

2. The aforesaid sum of Rs. 5,000 will be paid on or before the date of retirement by the Management and following such payment the pending dispute shall be deemed as resolved and that Sri Niranjan Biswas or the Union shall not make any further claim or demands following such payment as above. The Management also agrees that the charges which were brought against Sri Niranjan Biswas resulting in the aforesaid reference shall be deemed as withdrawn.

3. An award shall be made in answer to the issue on the terms as aforesaid.

The parties put their signature on this 8th Day of February, 1984.

Life Insurance Corporation of India
By HARISH CHANDRA PANT,
Constituted Attorney
Signature for the 1st Party
Life Insurance Corporation
of India.

NEPAL GHOSH, Jt. Secy.
Signature for the 2nd Party
Sri Niranjan Biswas.

WITNESSES :

1. Prakash Kumar Sengupta.
2. Sukumar Mukherjee.



नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1984

का०आ० 855.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iv) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 3833 तारीख 19 सितम्बर, 1983 द्वारा जिंक खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 सितम्बर, 1983 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 19 मार्च, 1984 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस-11017/4/81-डी-(1ए)(i)]

New Delhi, the 27th February, 1984

S.O. 855.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 3833 dated the 19th September, 1983; the Zinc Mining Industry to be a public utility service for a period of six months, from the 19th September, 1983;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 19th March, 1984.

[No. S-11017/4/81-81-D.I(A)(i)]

का०आ० 856.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 3834 तारीख 19 सितम्बर, 1983 द्वारा सीसा खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 सितम्बर, 1983 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 मार्च, 1984 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/4/81-डी-1(ए)(ii)]

एस०एच०एस० अय्यर, अवर सचिव

S.O. 856.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour S. O. No. 3834 dated the 19th September, 1983, the

Lead Mining Industry to be a public utility service for a period of six months, from the 24th September, 1983.

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 24th March, 1984.

[No. S-11017/4/81-D. I (A) (ii)]
S. H. S. IYER, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1983

आदेश

का० आ० 857.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में महाप्रबन्धक, पश्चिम रेल, बम्बई से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० बरोत होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या बम्बई स्थित पश्चिम रेल के महा प्रबंधक द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह सेठी, जानीटर, पश्चिम रेल, होलीडे होम, माउन्ट आबू, की सेवाएं कोई सूचना या प्रतिकर दिए बगैर 18-9-81 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[सं० एल-41011/37/82-डी-2(बी)]

New Delhi, the 9th December, 1983.

ORDER

S.O. 857.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the General Manager, Western Railway, Bombay and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Govtrnment considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exerise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of General Manager, Western Railway, Bombay in terminating the services of Shri Jitendra Singh Sethi, Janitor Western Railway Holiday Home, Mt. Abu with effect from 18-9-81 without any notice or compensation is justified? If not, to what relief the workman is entitltd ?"

[No. L41011/37/82/D.II(B)]

आदेश

का० आ० 858.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के प्रबंधतंत्र से संबंधित एक औद्योगिक विवाद नियोजकों के कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग, बीकानेर द्वारा श्री के० एल० जोशी, उच्च श्रेणी लिपिक को सहायक निदेशक [साधारण प्रशासन, प्रशिक्षण एच० बी० टी०-यू० एस० ए०) के पद के लिए चयन बोर्ड के समक्ष जून 1981 के दौरान साक्षात्कार का अवसर देने से इन्कार करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो, श्री जोशी किस अनुतोष के हकदार है?

[एल० 42012/8/83-डी-2(बी)]

ORDER

S.O. 858.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Khadi and Village Industries Commission, Bombay and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of Khadi & Village Industries Commission, Bikaner in denying an oportunity of interview to Shri K. L. Joshi, U.D.C. for the post of Assistant Director (Gen. Admn/Training/HBT-USA) before the selection Board during June, 1981 is justified? If not, to what relief is Shri Joshi entitled ?"

[No. L-42012/8/83-D II(B)]

आदेश

का० आ० 859.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मंडल इन्जीनियर और मंडल कार्मिक अधिकारी उत्तर रेल, बीकानेर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक अधिकरण

गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या उत्तर रेल के प्रबंधक द्वारा अपने मंडल इंजीनियर और मंडल कार्मिक अधिकारी, बीकानेर के सम्बन्ध में 32 कर्मकारों जिनका ब्यौरा उपाबंध में दिया गया है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-च 25-छ और औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 के नियम 77का उल्लंघन करते हुए सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

| क्रम सं० | कर्मकार का नाम | सेवा समाप्त करने की तारीख |
|---|---|---|
| 1. | श्री देवेंद्र कुमार | 8-12-1981 |
| 2. | श्री राधेश्याम | 15-9-1981 |
| 3. | श्री राय राम | 25-1-1980 |
| 4. | श्री मंगल राम | 15-7-1980 |
| 5. | श्री सूरज राम | 19-7-1980 |
| 6. | श्री आसू राम | 30-11-1979 |
| 7. | श्री अनूप सिंह | 27-7-1980 |
| 8. | श्री कुरद राम | 29-9-1981 |
| 9. | श्री सनवता | 29-9-1981 |
| 10. | श्री कुरद राम | 29-9-1981 |
| 11. | श्री गोपाल कृष्ण | 29-9-1981 |
| 12. | श्री परमेश्वर | 25-9-1981 |
| 13. | श्री शिशुपाल सिंह | 25-9-1981 |
| 14. | श्री मदन लाल | 1-1-1981 |
| 15. | श्री पुराराम | 29-9-1981 |
| 16. | श्री लक्ष्मन | 12-6-1980 |
| 17. | श्री फतें ह सिंह | 29-9-1980 |
| 18. | श्री भागीरथ | 1-8-1980 |
| 19. | श्री रावतराम | 29-9-1981 |
| 20. | श्री श्याम राम | 29-9-1981 |
| 21. | श्री झानबार | 29-9-1981 |
| 22. | श्री चौथू राम | 18-11-1980 |
| 23. | श्री देवी सिंह | 29-9-1981 |
| 24. | श्री रामेश्वर | 4-2-1981 |
| 25. | श्री मोहन सिंह | 29-9-1981 |
| 26. | श्री राम कुमार | 11-10-1981 |
| 27. | श्री प्रेमा राम | 22-12-1976 |
| 28. | श्री रूप राम | 22-8-1977 |
| 29. | श्री हरि राम | 7-5-1974 |
| 30. | श्री मोहम्मद अली | 1-7-1981 |
| 31. | श्री गौरी शंकर | 15-9-1981 |
| 32. | श्री मानकचंद | 15-9-1981 |

[सं० एल-41012/20/83-डी० 2 (बी)]

ORDER

S.O. 859. –Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Divisional Engineer and Divisional Personnel Officer, Northern Railway, Bikaner and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed :

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Northern Railway in relation to their DEN & DPO, Bikaner in terminating the services of the 32 workmen whose details are given in the annexure in violation of sections 25F, 25G, of the I.D. Act, 1947 and Rule 77 of the I.D. (Central) Rules, 1957 is justified ? If not, to what relief are these concerned workmen entitled ? "

ANNEXURE

| Sl. No. | Name of the workman | Date of termination |
|---|---|---|
| 1. | Shri Davendra Kumar | 8-12-1981 |
| 2. | Shri Radheyshyam | 15-9-1981 |
| 3. | Shri Rauoram | 25-1-1980 |
| 4. | Shri Manglaram | 15-7-1980 |
| 5. | Shri Surjaram | 19-7-1980 |
| 6. | Shri Aasuram | 30-11-1979 |
| 7. | Shri Anupsingh | 27-7-1980 |
| 8. | Shri Kurdaram | 29-9-1981 |
| 9. | Shri Sanwata | 29-9-1981 |
| 10. | Shri Kurdaram | 29-9-1981 |
| 11. | Shri Gopal Krishna | 29-9-1981 |
| 12. | Shri Parmeshwar | 25-9-1981 |
| 13. | Shri Shishupal Singh | 25-9-1981 |
| 14. | Shri Madanlal | 1-1-1981 |
| 15. | Shri Puraram | 29-9-1981 |
| 16. | Shri Laxman | 12-6-1980 |
| 17. | Shri Fatehsingh | 29-9-1981 |
| 18. | Shri Bhagirath | 1-8-1980 |
| 19. | Shri Rawataram | 29-9-1981 |
| 20. | Shri Shyamram | 29-9-1981 |
| 21. | Shri Jhanbar | 29-9-1981 |
| 22. | Shri Chauthuram | 18-11-1980 |
| 23. | Shri Devisingh | 29-9-1981 |
| 24. | Shri Rameshwar | 4-2-1981 |
| 25. | Shri Mohansingh | 29-9-1981 |
| 26. | Shri Ram Kumar | 11-10-1981 |
| 27. | Shri Poma Ram | 22-12-1976 |
| 28. | Shri Rooparam | 28-8-1977 |
| 29. | Shri Hariram | 7-5-1974 |
| 30. | Shri Mohd. Ali | 1-7-1981 |
| 31. | Shri Gauri Shankar | 15-9-1981 |
| 32. | Shri Manakchand | 15-9-1981 |

[No. L-41012/20/83-DII(B)]

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1983

आदेश

का०आ० 860.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में महाप्रबन्धक, पश्चिमी रेल, बम्बई के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1)के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी०एस० बरोत होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या रेल प्रशासन को, सी०एस०आई० अजमेर के अधीन हैल्पर श्री अनवर अली को मंडल रेल प्रबन्धक के पश्चिमी रेल पत्र संख्या एम/एस आई जी–1130/6 पार्ट 10 तारीख 19-12-80 द्वारा परिकल्पित व्यवसाय परीक्षा में बैठने के लिए न बुलाने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है" ?

[संख्या एल-41012/7/83-डी II (बी)]

ORDER

New Delhi, the 30th December, 1983

S.O. 860.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of The General Manager, Western Railway, Bombay and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the Railway Administration in not calling Shri Anwar Ali, Helper under CSI, Ajmer, to appear in Trade Test envisaged vide Divisional Railway Manager's W. Railway, Ajmer letter No. M/Sig-1130/6 Part X dated 19-12-80 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

[No. L-41012(7)/83-D.II(B)]

आदेश

का० आ० 861:—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में पश्चिमी रेलवे प्रशासन के प्रबन्धतंत्र से संबंधित एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्रभूषण शर्मा होंगे जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मंडल रेलवे प्रबन्धक, पश्चिमी रेलवे कोटा की, श्री जसवन्त सिंह, टी०टी०ई० कोटा की वेतन को न बढ़ाने तथा उसे उसके कनिष्ठों सर्वश्री के०एन० आचार्य, पी०पी० पांडे तथा सुभाष मेहरा, टी०टी०ई० के वेतन के समतुल्य न करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

"क्या मंडल रेलवे प्रबन्धक, कोटा की, श्री एस०के० मेहरा टी०टी०ई० कोटा के वेतन को बढ़ा कर उनके कनिष्ठों के समतुल्य न करने तथा उसके बकाया का संदाय न करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-41011(5)/83-डी-2(बी)]

ORDER

S.O. 861.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Western Railway Administration and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the Divisional Railway Manager Western Railway, Kota in not stepping up the pay of Shri Jaswant Singh, TTE Kota and make it equivalent to that of his juniors S/Shri K. N. Acharya, P. P. Pandey and Subash Mehra TTEs is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

"Whether the action of Divisional Railway Manager, Kota for not stepping up the pay of Shri S. K. Mehra TTE Kota equivalent to that of his juniors and not paying the arrears thereof is justified ? If not to what relief the workman is entitled ?"

[No. L-41011(5)/83-D.II(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1984

का० आ० 862:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में पश्चिमी रेलवे, राजकोट के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी०एस० रोत होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या आई०ओ०डब्ल्यू (एम जी) साबरमती पश्चिमी रेलवे की खलासी, श्री ए० गोपाल की 21-12-82 से सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल-41011/50/83-डी-2(बी)]

ORDER

New Delhi, the 8th February, 1984

S.O. 862.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers

in relation to the management of Western Railway, Rajkot and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of IOW (M.G.) Sabarmati Western Railway in terminating the service of Shri A. Gopal, Khalasi w.e.f. 21-12-82 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?".

[No.L-41011(50)/ 83-D. II(B)]

आदेश

का० आ० 863:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट विषय के बारे में उत्तरी रेलवे प्रशासन, बीकानेर डिवीजन के प्रबंधतन्त्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है। जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या उत्तरी रेलवे प्रबन्धतन्त्र को अपने बीकानेर डिवीजन, बीकानेर से संबंधित नैमित्तिक मेसन, श्री जेथू सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह को 260-400/रु० के वेतनमान में मेसन के स्थायी संवर्ग में नियुक्त न करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नही तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-41012/30/83 डी-2 (बी)]

ORDER

S.O. 863.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Northern Railway Administration, Bikaner Division and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of Northern Railway Management in relation to their Bikaner Division, Bikaner in not appointing Shri Jethu Singh S/o Shri Sunder Singh, Casual Mason in permanent cadre of Mason in the pay scale of Rs. 260—400 is justified ? If not to what relief is he entitled?"

[No. L-41012(30)/83-D.II(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1984

का० आ० 864:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में पश्चिमी रेलवे, बम्बई, के प्रशासन से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० बरोत होंगे जिनका मुख्यालय अहमदाबाद मे होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या ए० ई० एन० नंदरबार और डी० ई० एन०, बम्बई सैंट्रल से संबंधित पश्चिमी रेलवे के प्रबन्धतन्त्र की 9-11-75 से श्री तुलसीराम रामदास की सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नही, तो यह कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल० 41012/37/83-डी- 2(बी)]

ORDER

New Delhi, the 13th February, 1984

S.O. 864.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Western Railway, Bombay and their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the President Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of Western Railway, management in relation to AEN, Nandarbar and DEN Bombay Central in dismissing Shri Tulsiram Ramdas from service w.e.f. 9-11-75 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

[No. L-41012(37)/83-D.II. (B)]

आदेश

का० आ० 865:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में पश्चिमी रेलवे, प्रशासन के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या विभागीय रेलवे प्रबन्धक, पश्चिमी रेलवे कोटा से संबंधित पश्चिमी रेलवे प्रबंधतंत्र की श्री मानक चंद को श्री राम किशन से पहले वरीयता देने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो श्री राम किशन किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल-41011/40/83-डी-2 (बी)]

ORDER

S.O. 865.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Western Railway Administration and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the Western Railway Management in relation to the Divisional Railway Manager, Western Railway Kota in giving seniority to Shri Manak Chand over Shri Ram Kishan is justified ? If not, to what relief Shri Ram Kishan is entitled?"

[No. L-41011(40)/83-D.II(B)]

आदेश

का०आ० 866.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में एयर इंडिया, मद्रास के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी अरुलराज होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मद्रास में एयर इंडिया प्रतिष्ठानों के स्पोर्ट डिवीजन और इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत नैमित्तिक कर्मकारों द्वारा सेवा में 3 वर्ष पूरे करने पर स्थायी पद के लिए मांग करना न्यायोचित है ? यदि हां, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[सं० एल-11011/3/82-डी-2 (बी)]

ORDER

S.O. 866.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Air India, Madras and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Arulraj shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the demand of the casual workmen working in the Support Division and the Engineering Department of the Air India establishments at Madras for permanent status on completion of 3 years of service is justified ? If so, to what relief the workmen concerned are entitled ?"

[No. L-11011(3)/82 D.II (B)]

आदेश

का०आ० 867.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में दूरदर्शन केन्द्र, गुलबर्गा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री वी०एच० उपाध्याय होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या दूरदर्शन केन्द्र, गुलबर्गा की श्री शांतरेप्पा को 15-10-82 से निरन्तर नियोजन देने से मना करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो यह कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल-42012/15/83-डी-2 (बी)]

ORDER

S.O. 867.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Doordarshan Kendra, Gulbarga and their workman in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri V. H. Upadhaya shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of Doordarshan Kendra, Gulbarga in denying continuous employment from 15-10-82 to Shri Shantreppa is justified? If not, to what relief is the workman entitled ?"

[No. L-42012 (15)/83-D. II (B)]

आदेश

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1984

का०आ० 868.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अहमदाबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी०एम० बरोत होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या क्षेत्रीय निदेशक, ई०एस०आई०सी०, अहमदाबाद की ई० एस०आई०सी० कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को स्थानान्तरण कराने, और पदोन्नति देने से इंकार करने तथा यूनियन के महामंत्री को आरोपपत्र देने की कार्यवाही उनके ट्रेड यूनियन कार्यकलापों के उत्पीड़न के समान है? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?"

[सं० एल-15011/2/83-डी-2 (बी)]

New Delhi, the 18th February, 1984

ORDER

S.O. 868.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of ESIC Ahmedabad and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government consideres it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of Regional Director, ESIC, Ahmedabad in transferring the President, Vice President of ESIC staff Union and refusing promotion and chargesheeting the General Secretary of the union tantamounts to victimisation for their trade union activities? If so, to what relief the workmen are entitled?"

[No. L-15011(2)/83-D.II.B]

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1984

आदेश

का० आ० 869:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में खादी और ग्राम उद्योग आयोग, बम्बई, के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या खादी और ग्राम उद्योग आयोग, बम्बई द्वारा कर्मचारियों का 1-4-1976 से पहाड़ी और सीमा क्षेत्र भत्ता बन्द करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

"क्या खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र में कर्मचारियों को जूतों तथा चश्मों की सप्लाई में कमी करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्र के कर्मचारी किस अनुतोष के हकदार हैं?"

[संख्या एल-42011/19/83-डी-2 (बी)]

New Delhi, the 24th February, 1984

ORDER

S.O. 869.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Khadi and Village Industries Commission, Bombay and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Indusrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

"Whether the Khadi & Village Industries Commission, Bombay is justified in discontinuing the Hill and Border Area Allowance to its employees with effect from 1-4-1976? If not, to what relief they are entitled?"

"Whether the Khadi & Village Industries Commission, Bombay is justified in curtailing the facility of supply of shoes and goggles to its employees in Hill and Border Areas? If not, to what relief the Hill and Border Area Employees are entitled?"

[No. L-42011/19/83-D. II (B)]

आदेश

का० आ० 870:—एयर इण्डिया के प्रबंधतंत्र और उनके कर्मकारों, जिनका प्रतिनिधित्व इन्डियन पाइलटस गिल्ड, बम्बई, इंडियन फ्लाइट नेवीगेटर्स गिल्ड, बम्बई, एयर कारपोरेशन एम्पलाईज यूनियन, बम्बई, इण्डियन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन एसोसियेशन, बम्बई, आल इण्डिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसियेशन, बम्बई, एयर इंडिया एम्पलाईज गिल्ड, बम्बई, इण्डियन फ्लाइट इंजीनियर्स एसोसिएशन बम्बई, इंडियन फ्लाइट डिस्पैचर्स यूनियन, बम्बई तथा एयर इण्डिया केबिन क्रू एसोसिएशन, बम्बई करती है, ने संयुक्त रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है कि उनके बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को, जो उनके आवेदन में उठाए गए मामलों से संबंधित है और जिन्हें इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, औद्योगिक अधिकरण को भेजा जाए;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नम्बर 2, बम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

1. क्या एयर इण्डिया के प्रबन्धतंत्र ने सभी एसोसियेशनों/यूनियनों/गिल्डों/कर्मचारियों के साथ अतिरिक्त महंगाई भत्ता, और परिवर्ती मंहगाई भत्ते

के सम्बन्ध में किए करारों/समझौतो/वचनबद्धता की शर्तों के अनुसार 1-4-75 से प्रभावी होने वाले अतिरिक्त महंगाई भत्ते और परिवर्ती भत्ते का अदा-यगी कर दी है? यदि नही, तो कर्मचारी किस अनुतोष के हकदार हैं और यदि हा. तो किस अवधि के लिए ?

2. क्या उपर्युक्त खंड 1 में विनिर्दिष्ट करार, समझौते, वचन बद्धता का परिनिधारण, जहां तक अतिरिक्त महंगाई भत्ता और परिवर्ती महंगाई भत्ता का संबंध है, इस विषय में सरकार द्वारा एयर इण्डिया को जारी की गई स्वीकृति/निर्देश परिपत्र के अनुरूप किया गया था? यदि नही तो कर्मचारियों को परिणामिक हानि क्या हुई? वे किस अनुतोष के हकदार है और किस तारीख से?

[एल०/11025/3/84-डी-2(बी)]

टी. बी. सीतारमन, अवर सचिव

## ORDER

S.O. 870.—Whereas the employers in relation to the management of Air India and their workmen represented by the Indian Pilots' Guild, Bombay, Indian Flight Navigators' Indian Guild Bombay, Air Corporation Employees' Union, Bombay Aircraft Technicians Association, Bombay. All India Aircraft Engineering Association, Bombay, Air India Employees' Guild Bombay, Indian Flight Engineers' Association Bombay, Indian Flight Despatchers Union Bombay and Air India Cabin Crew Association, Bombay have jointly applied to the Central Government under sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) for reference of an industrial dispute the exists between them to an Industrial Tribunal in respect of the matters set forth in the said application and reproduced in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government is satisfied that the persons applying represent the majority of each party;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby refers the sind dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Bombay constituted under section 7A of the said Act.

## SCHEDULE

I. Whether the Management of Air India has paid the employees the Addl. D. A. and variable D. A. effective 1. 4. 1975 and thereafter in accordance with the terms of agreements/understandings commitments made with all the Association/Unions/Guild/Employees relating to the payment of A.D.A. , and V.D.A.? If not, to what relief are the employees entitled and if so for what period?

II. Whether the agreement. commitments, understanding referred to in Clause I above in so far as they relate to A.D.A. and V.D.A. were arrived at in conformity with the Government approval/directive/circular on the subject issued to Air India? If not what has been the resultant loss to the employees? To what relief are they entitled and from what date?

[No. L-11025(3)/84-D.II(B)]
T. B. SITARAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1984

### आदेश

का० आ० 871—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड रामागुंडम डिवीजन II डाकघर गोदावरी खानी, जिला करीमनगर (आन्ध्र प्रदेश के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1974 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० श्रीनिवास राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

### अनुसूची

"क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, रामागुंडम डिवीजन-II, डाकघर गोदावरीखानी, जिला करीमनगर (आन्ध्रप्रदेश) के प्रबन्धतंत्र द्वारा गोदावरीखानी 6ए इन्क्लाईन के कोल फिलर, श्री समुद्रला लिंगैया की 17-8-1982 से सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[संख्या एल- 22011/7/83 डी० 3 (बी)]

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

New Delhi, the 10th February, 1984

## ORDER

S.O. 871.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Singareni Collieries Company Ltd., Ramagundam Div. II, Post Office Godavarikhani District Karimnagar (Andhra Pradesh) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. Srinivasa Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refer the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs Singareni Colleries Co. Ltd., Ramagundam Div. II, P.O. Godavarikhani District Karimnagar (A.P.), in dismissing from service with effect from 17-8-1982 Shri Samudrala Lingaiah, Coal Filler, Godavarikhani 6A Incline is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

[No. L-22011/7/83-D. III (B)]

का०आ० 872—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में मैसर्स तुंगभद्रा मिनरलस प्राईवेट लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के आदेश संख्या 29011/40/73 एल० आर० IV तारीख 29-9-73 द्वारा न्याय-निर्णयन के लिए औद्योगिक अधिकरण के पास भेजा गया था, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० एन० जयादेवप्पा होंगे और जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा;

बंगलौर में कर्नाटक के उच्च न्यायालय मे मैसर्स तुंगभद्रा मिनरलस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा दायर रिट याचिका में इस मामले की वैधता को चुनौती दी गई है, रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और इस मामले के उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया, जहां तक कि इस का श्रमिकों की छंटनी से संबंधित प्रथम प्रश्न का संबंध है;

श्री बी० एन० जयादेवप्पा काफी पहले सेवा से निवृत्त हो गये और उनकी सेवाएं अब उपलब्ध नही है ;

केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स तुंगभद्रा मिनरलस प्राईवेट, लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र से संम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री वी० एच० उपाध्याय होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

1. क्या सभी कर्मचारी लेखा वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिए बोनस के हकदार हैं और बोनस की मात्रा क्या है, जिसके लिए वे हकदार हैं ?

2. क्या श्री सी० के० भास्कर, कम्प्रैसर आपरेटर के ग्रेड-II में निर्धारण की पुनरीक्षा करने और विचार विमर्श करने की आवश्यकता है? यदि हां, तो वह किस अनुतोष का हकदार है और किस तारीख से ?

[संख्या एल- 29011/40/73- एस० आर०/डी० III (बी)]

S.O. 872.—Whereas an industrial dispute existing between the employers in relation to management of Messrs Tungabhadra Minerals Pvt. Ltd., and their workmen was referred for adjudication vide Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) Order No. L-29011/40/73-LR. IV dated 29-9-73 to the Industrial Tribunal with Shri B.N. Jayadevappa as Presiding Officer with headquarters at Bangalore in respect of the matters specified in the schedule annexed thereto;

Whereas on a writ petition filed by Messrs Tungabhadra Minerals Pvt. Ltd. in the High Court of Karnataka at Banglore questioning the legality of the reference, the writ petition was allowed in part and the order of reference was set aside in so far as it relate to the first question pertaining to the retrenchment of workmen;

Whereas Shri B.N. Jayadevappa retired from service long back and his services are no longer available.

Whereas the Central Government is of the opinion that industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Tungabhadra Minerals Pvt. Ltd. and their workmen in respect of the matters specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 A and clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri V.H. Upadhyaya as Presiding Officer with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

(1) Whether all the employees are entitled to bonus for the accounting years 1971-72 and 1972-73 and what is the quantum of bonus they are entitled to ?

(2) Whether the fixation of Shri C.K. Bhaskar, Compresser' Operator, in Grade II needs review and consideration ? If so, to what relief is he entitled and from what date ?"

[No. L-29011/40/73-LR IV|D. III(B)]

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1984

का०आ० 873.—मैसर्स गोगटे मिनरल्स रेडी के प्रबन्धतंत्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व रेडी कामगार संगठन करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

1515 GI/83—6

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उप-धारा के अधीन उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) की उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम:

| | |
|---|---|
| नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले | 1. श्री डी० एस० राव, एजेन्ट, मैसर्स गोगटे मिनरल्स, डाकघर रेडी, जिला सिन्धुदुर्ग, महाराष्ट्र<br>2. श्री बी० एस० माथुर, खान प्रबन्धक, मैसर्स गोगटे मिनरल्स, डाकघर रेडी, जिला सिन्धुदुर्ग<br>3. श्री एस० पी० गोखले, कार्मिक अधिकारी |
| कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले | 1. श्री आर० बी० तिवारेकर, उपाध्यक्ष, रेडी कामगार संगठन डाकघर रेडी, जिला सिन्धुदुर्ग<br>2. श्री पी० लक्ष्मीनारायण, सेक्रेटरी, रेडी कामगार संगठन।<br>3. श्री एस० एस० भौसले, आल इण्डिया पोर्ट एंड डाक वर्कर्स फेडरेशन को प्रतिनिधि |

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एच० जी० भावे, उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली 11001 के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

1. विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय:

(1) 1-1-1983 से 15-3-1983 तक 67 कर्मकारों की अभिकथित अवैध जबरी छुट्टी और कानूनी तौर पर देय राशियों का भुगतान किए बगैर 16-3-1983 से 249 कर्मकारों की अवैध छंटनी।

| | |
|---|---|
| (2) विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमें अंतर्कलित स्थापना या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है। | 1. मैसर्स गोगटे मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, डाकघर रेडी, जिला सिन्धुदुर्ग, महाराष्ट्र। |
| (3) यदि कोई संघ प्रबन्धगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करना हो तो उसका नाम | रेडी कामगार संगठन, डाकघर रेडी, जिला सिन्धुदुर्ग। |
| (4) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या | 310 |

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्ध होगा।

हम यह भी करार करते हैं कि पंचाट देने के लिए 6-1-1984 से आगे छह मास की अवधि बढ़ाई जाय। मध्यस्थ अपना पंचाट छह मास की बढ़ाई अवधि के भीतर देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर

पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

| नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले के हस्ताक्षर | कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले के हस्ताक्षर |
|---|---|
| ह०/- डी०एस०राव | ह०/-आर० बी० तिवरेकर |
| ह०/- वी० एस० माथुर | ह०/- पी० लक्ष्मीनारायन |
| ह०/- एस०पी०गोखले | ह०/एस० एस० भौंसले |

साक्षी

1 ह०/-वी० के० राजन, सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के आशुलिपिक

2 ह०/-(अपठनीय) अवर श्रेणी लिपिक एवं खजाची मार्फत सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) वास्कोडिगामा
तारीख 6 जनवरी, 1984

[सं० एल० 29012/35/83 डी०-3 (बी)]

ORDER

New Delhi, the 5th March, 1984

S.O. 873.—Whereas an industrial dispute exists between the management of M/s. Gogte Minerals, Reddi and their workmen represented by Redi Kamgar Sanghatana.

And whereas the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to Arbitration and have forwarded to the Central Government under sub-section (3) of Section 10-A of the said Act, a copy of the said arbitration agreement.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10-A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement;

AGREEMENT

(Under Sec. 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

NAMES OF THE PARTIES

REPRESENTING EMPLOYER

1. Shri D.S. Rao,
Agent,
M/s. Gogte Minerals,
P.O. Redi,
Distt: Sindudurga,
Maharashtra.
2. Shri V.S. Mathur,
Mines Manager,
M/s. Gogte Minerals,
P.O. Redi.
Distt. Sindudurga.
3. Shri S.P. Gokhale, Personnel Officer.

REPRESENTING WORKMEN

1. Shri R.V. Tivrekar,
Vice-President,
Redi Kamgar Sanghatana,
P.O. Redi,
Dist. Sindudurga.
2. Shri P. Laxminarayan,
Secretary,
Redi Kamgar Sanghatana.
3. Shri S.S. Bhonsle,
Representative of All India Port & Dock Workers' Federation.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri H.G. Bhave, Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

(i) Specific matters in dispute : Alleged illegal lay-off of 67 workmen from 1-1-1983 to 15-3-1983 and illegal retrenchment of 249 workmen from 16-3-1983 without payment of legal dues.

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment: M/s. Gogte Minerals Pvt. Ltd. P.O. Redi, Dist: Sindudurga, Maharashtra State.

(iii) Name of the Union representing the workmen : Redi Kamgar Sanghtana, P.O. Redi, Dist: Sindudurga.

(iv) Total No. of workmen employed in the undertaking effected : 310

We further agree that the final decision of the arbitration be binding on us.

We further agree to extend the period of further six months to make award from this day the 6th January, 1984. The arbitrator shall make his award within further extended period of SIX MONTHS. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

| SIGNATURE OF REPRESENTATIVES OF EMPLOYER | SIGNATURE OF REPRESENTATIVES OF WORKMEN/UNION. |
|---|---|
| Sd/ | Sd/ |
| (D.S. Rao) | (R.V Tivrekar) |
| Sd/ | Sd/ |
| (V.S. Mathur) | (P. Laxminarayan) |
| Sd/ | Sd/ |
| (S.P. Gokhale) | (S.S. Bhonsle) |

WITNESSES

1. Sd/
(V.K. Rajan)
Steno to the ALC (C),
Vasco-da-Gama.

2. Sd/
(Illegible)
LDC-CUM-CASHIER.
C/o A.L.C. (C), Vasco.

Dated, 6th January, 1984

[No. L-29012/35/83-D.III.

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1984

आदेश

का० आ० 874.—वैस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, पथखेड़ा एरिया, जिला बेतुल, (मध्य प्रदेश) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकार श्री पी० आर० बघमारे, भूतपूर्व-सेमी कल्क, वैस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, पथखेड़ा एरिया के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त अधिनियम की धारा 10क की उप-धारा (3) के अधीन उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई

अत, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार का एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले — श्री एस० बी० कटियार, उप-मुख्य कार्मिक प्रबन्धक, वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, पथखेडा एरिया जिला बेतुल (मध्य प्रदेश)

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले — 1 श्री पी० आर० बघमेरा, भूतपूर्व सेमी क्लर्क, ग्रेड-3, पथखेडा कोल माइन्स, मार्फत श्री जे० एल० पगडीयाजी, कोठी बाजार बेतुल (मध्य प्रदेश)

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद का मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, नई दिल्ली में उप मुख्य श्रमायुक्त श्री एच० जी० भावे के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

(i) विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय

(1) "क्या वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, पथखेडा एरिया, जिला बेतुल (मध्य प्रदेश) की श्री पी० आर० बघमारे, भूतपूर्व सेमी-क्लर्क, ग्रेड-3 पथखेडा कोल माइन्स, मार्फत श्री जे० एल० पगडियाजी, कोठी बाजार, बेतुल, मध्य प्रदेश को 11-2-1980 से सेवा से हटाने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

(ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तवलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है। — 1 श्री पी० आर० बघमारे आत्मज श्री जागाजी, भूतपूर्व सेमी क्लर्क, ग्रेड 3 पथखेडा कोल माइन्स, जिला बेतुल, मार्फत श्री जे० एल० पगडीयाजी, कोठी बाजार, बेतुल, मध्य प्रदेश।

बनाम

1 परियोजना अधिकारी, पथखेडा परियोजना पथखेडा एरिया वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, जिला बेतुल (मध्य प्रदेश)

(iii) कर्मकार — श्री पी० आर० बघमारे, आत्मज श्री जागाजी स्वयं ही।

(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या — 4500 लगभग

(v) विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यत प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या — एक

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा

मध्यस्थ अपना पंचाट छह मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर, जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले — कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले

हस्त० — हस्त०

(एस०बी० कतियाड़) उप मुख्य कार्मिक प्रबंधक, वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड — भूतपूर्व ग्रेड कोल एल० बेतुल मध्य प्रदेश

साक्षी

1. ह०/- पी० उन्नीकृष्णन, उच्चश्रेणी लिपिक, वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, पथखेडा

2. ह०/- अपठनीय

[सं० एल० 22013/4/83-डी-3(बी)]

नन्द लाल, अवर सचिव

## ORDER

New Delhi, the 7th March, 1984

S.O. 874.—Whereas an industrial dispute exists between the management of Western Coalfields Limited, Pathakhera Area, Distt. Betul (M.P.) and their workman Shri P. R. Baghmare, Ex-semi Clerk, WCL, Pathakhera area of WCL.

And whereas, the said employers and their workman have by a written agreement under sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to Arbitration and have forwarded to the Central Government under sub-section (3) of Section 10A of the said Act, a copy of the said arbitration agreement.

Now therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement;

## AGREEMENT

(Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

NAME OF PARTIES

Representing Employers—Shri S. B. Katiyar, Dy. Chief Personnel Manager, W.C. Limited, Pathakhera Area., Distt. Betul (M.P.).

Representing Workman—Shri P. R. Baghmare, Ex-Semi Clerk, Gr. III, Pathakhera Coal Mines C/o Shri J. L. Pagariyaji, Kothi Bazar, Betul (M.P.)

It is hereby agreed between the parties to refer the following indus[illegible] H. G. Bhave, Deputy [illegible] Bhopal in the office of the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi.

Specific matter in dispute :

(i) "Whether the action of the management of Western Coalfield Ltd., Pathakhera Area, Distt. Betul (M.P.) in dismissing Shri P. R. Baghmare, Ex-Semi Clerk, Gr. III, Pathakhera Coal Mines, C/o Shri J. L. Pagariyaji, Kothi Bazar, Betul (M.P.) with effect from 11-2-1980 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

(ii) Details of parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.

(1) Shri P. R. Baghmare S/o Shri Jagoji, Ex-Semi Clerk, Gr. III, Pathakhera Coal Mines, Distt. Betul, C/o Shri J. L. Pagariyaji, Kothi Bazar, Betul (M.P.)

VERSUS

(1) Project Officer, Pathakhera Project, Pathakhera Area, W.C. Limited, Distt. Betul (M.P.)

(iii) Workman Shri P. R Baghmare S/o Shri Jagoji himself.

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected : 4500 appx.

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute : One

We further agree that the decisions of the arbitrator will be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of six months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitrator shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh agreement(s).

Signtures of the parties

Representing Employers :

Sd/-
(S. B. KATIYAR),
Dy. Chief Personnel Manager, WCL

Representing Workman :

Sd/-
(P. R. BAGHMARE),
Ex-Semi Clerk, Gr. III,
Pathakhera Coal Mines,
C/o Shri J. L. Pagariyaji,
Kothi Bazar, Betul (M.P.)

Witnesses :

Sd/-
(P. UNNIKRISHNAN),
UDC, WCL Pathakhera
Sd/- (Illegible)

[No. L-22013/4/83-D.III.B]

NAND LAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1984

आदेश

का०आ० 875.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की चांदमारी कापर प्रोजेक्ट के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप धारा (i) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा होंगे, जनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लि० के चांदमारी कापर प्रोजेक्ट के प्रबन्धतंत्र का निम्नलिखित तीन कर्मचारियों की निलम्बन अवधि, जिसे बाद में ड्यूटी पर उपस्थिति के रूप माना गया, के लिए अर्जित छुट्टी मंजूर न करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो वे किस अनुतोष के हकदार है ?

निलम्बन अवधि

1. श्री जय सिंह 12-1-1980 से 23-8-80 तक
2. श्री महेन्द्र कुमार 18-10-1980 से 1-1-81 तक
3. श्री ईश्वरराम 18-10-1980 से 1-1-1981 तक

[सं० एल- 43012/2/83-डी -3 (बी)]

New Delhi, the 2nd February, 1984

ORDER

S.O. 875.—Whereas the Central Government is of the opimon that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Chandmari Copper Project of M/s. Hindustan Copper Limited and their workman in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and caluse (d) of subsection (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitute an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the management of Chandmari Copper Project, Khetri Nagar of M/s. Hindustan Copper Ltd. are justified in not granting the earned leave for the suspension period, which was subsequently treated 'as on duty' to the following three employees ? If not, to what relief they are entitled ?"

Suspension Period

1. Shri Jai Singh 12-1-1980 to 23-8-80
2. Shri Mahendra Kumar 18-10-80 to 1-1-81
3. Shri Ishwar Ram 18-10-1980 to 1-1-1981.

[No. L-43012/2/83-D.III(B)]

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1984

आदेश

का०आ० 876.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय जीवन बीमा निगम मछलीपत्तनम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० श्रीनिवास राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या भारतीय जीवन बीमा निगम, मछलीपत्तनम के प्रबन्धतंत्र की गन्टूर जिले में स्थित अपने शाखा कार्यालय नरसैरोपत में कार्यरत चौकीदार, श्री डी० चिना रमुलु की 5-2-1983 से सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।

[सं० एल-17012/11/83 डी -4ए]

New Delhi, the 6th February, 1984

ORDER

S.O. 876.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in

relation to the management of Life Insurance Corporation of India, Machilipatnam, and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

An whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of subsection (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Indusrial Tribunal, of which Shri M. Srinivasa Rao shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad, and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Life Insurance Corporation of India, Machilipatnam in relation to their Branch Office, Narasaraopet, Guntur District in termination the service of Shri D. China Ramulu, Watchman with effect from 5-2-1983 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

[No. L-17012(11)/83-D.IV(A)]

आदेश

का०आ० 877.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है, ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण वर्मा होंगे जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या बैंक आफ बड़ौदा, जयपुर के प्रबन्धतंत्र की बैंक की शाखा जौहरी बाजार, जयपुर में कार्यरत श्री राम सिंह, चपरासी की 24-6-76 से सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल-12012/221/83-डी-2(ए)]

ORDER

S.O. 877.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 ot the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bank of Baroda, Jaipur in relation ta their Johari Bazar Branch, Jaipur in terminating the services of Shri Ram Singh, Peon with effect from 24-6-76 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?".

[No. L-12012/221/83-D. II(A)]

आदेश

का०आ० 878.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी०एस० बरोत होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र, बम्बई के प्रबन्धतंत्र की अपनी शाखा न्यू कलाथ मार्किट, अहमदाबाद में कार्यरत अधीनस्थ कार्यकारी, श्री एम०वी० मिश्रा का आश्रम रोड शाखा, अहमदाबाद में तैनात करने से इंकार करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल-12012/218/83-डी-2(ए)]

ORDER

S.O. 878.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of United Bank of India, and their workman in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7-A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of United Bank of India, Regional Office, Western Region, Bombay in denying posting to Shri S.V. Mishra, Sub-staff from its New Cloth Market branch, Ahmedabad to Ashram Road branch, Ahmedabad is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

[No. L-12012/218/83-D. II(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1984

का०आ० 879.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अत, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री महेन्द्र भूषण शर्मा होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या बैंक आफ बड़ोदा, जयपुर की ... शाखा जिला सवाईमाधोपुर से संबंधित प्रबन्धतंत्र द्वारा श्री एन०एल० बैरवा, अधीनस्थ कर्मचारी, को 23-6-81 से सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[सं० एल-12012/257/83-डी-2(ए)]
एन०के० वर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th February, 1984

**ORDER**

S.O. 879.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7 A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mahendra Bhushan Sharma shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

**SCHEDULE**

"Whether the action of the management of Bank of Baroda, Jaipur in relation to ... Branch, ... Sawaimadhopur ... services of Shri N.L. Bairwa ... with effect from 23-6-81 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?".

[No. L-12012/257/83-D. II (A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

New Delhi, the 1st March, 1984

S.O. 880.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Bikaner and Jaipur, Kanpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 21-2-84.

**BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI**

I. D. No. 92 of 1983

In the matter of dispute between

Shri Khema Nand Joshi,
C/o The Assistant General Secretary,
U.P. Bank Employees Union,
36/1, Kailash Mandir,
Kanpur.

Vs.

The Manager,
State Bank of Bikaner and Jaipur,
Birhana Road,
Kanpur

APPEARANCES :

Miss Mithlesh—for the Management.
None for the Workman.

**AWARD**

The Central Government, Ministry of Labour, vide Order No. L-12012/212/81-D.II(A) dated 19th March, 1982 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur in relation to their Birhana Road Branch, Kanpur in not providing employment to Shri Khema Nand Joshi, Clerk after 8-3-79 and terminating his services is justified. If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. Shri Harmangal Parsad Assistant General Secretary, U.P. Bank Employees Union, Kanpur, filed the statement of claim. It was pleaded that Khema Nand Joshi joined the services of State Bank of Bikaner and Jaipur, Birhana Road, Kanpur on 19-12-1978 as a Clerk, and his services were terminated on 8-3-1979. He was not issued any appointment letter nor letter of termination. The appointment was said to be against a permanent post, but now hands were appointed against the post after 80 days. There was said to be violation of Section 25-H of the I.D. Act 1947. Reinstatement in service with full back wages was claimed.

3. The management contested the claim and asserted that the appointment of the workman was only in a temporary capacity and he was not appointed on permanent post and his services automatically came to an end only expiry of the period for which he was appointed. The termination of his service was said to be not retrenchment because he did not work for 240 days in a period of 12 calendar months. He was not appointed regularly by undergoing the recruitment procedure and was not given opportunity to all Indian Citizens to seek permanent employment in the prescribe procedure. His permanent appointment would violate provisions of Article 14 and 15 of the Constitution of India inasmuch as this workman would get a march over other candidates who seek employment under the prescribed procedure and would be denial of equal opportunity for public employment guaranteed to all Citizens of India. He worked only in a temporary capacity and was never appointed to fill a permanent post. The Industrial Tribunal Dhanbad in the case of State Bank of Bikaner and Jaipur Vs. Workman reported at page 3137 Gazette of India dated 12-8-1972 had approved the action of the management in a similar case and the Industrial Tribunal had also done the same in its award published ... Vs Kishore Singh Rathore at page 331 Gazette of India dated 2-2-1980.

4. Mr. V. V. Mangalvedhekar, who appeared for the workman earlier, did not appear to pursue the case.

5. No relief can be given to this workman. The provisions of Section 25-F of the I.D. Act, 1947 are not attracted in this case. He did not work for 240 days in a period of 12 calendar months. He was not appointed in a permanent vacancy and was given only 80 days' employment temporarily. He cannot be allowed permanent employment over reaching the claims of other Indian Citizens for permanent public employment in Bank service. The action of the management is legal and justified. Mr. Khema Nand Joshi is not entitled to any relief.

The award is made in the term aforesaid.

Further ordered that the requisite number of copies of the award be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

O. P. SINGLA, Presiding Officer
[No. L-12012/212/81-D.II(A)]

Dated February 13, 1984.

S.O. 881.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Bikaner and Jaipur, Kanpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 21-2-84.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NEW DELHI

I. D. No. 52 of 1983

In the matter of dispute between

Shri Mukesh Chandra and others
C/o The Assistant General Secretary
U.P. Bank Employees Union
36/1, Kailash Mandir,
Kanpur

Vs

The Branch Manager
State Bank of Bikaner and Jaipur
Birhana Road
Kanpur

APPEARANCES
Miss [illegible] M.
None

AWARD

The Central Government Ministry of Labour vide Order No. L-12012(350)/81 D.II(A) dated [illegible] 198[illegible], referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of State Bank of Bikaner and Jaipur Kanpur in relation to [illegible] [illegible] in employment [illegible] workers as mentioned in the Annexures is justified. If not to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. The claim statement was filed by Shri Harmangal Prasad, Assistant General Secretary, U.P. Bank Employees Union, Kanpur. It was pleaded that the eight workmen S/Shri M. C. Srivastava, [illegible] Misra, Km. Beena Misra, Ashok Kumar, [illegible] Bhadoria, Shyam Kishore Aggarwal, Dinesh [illegible] and C. C. Shukla were appointed by the Management of State Bank of Bikaner and Jaipur in permanent vacancies but only for a specific period of 80 days in the years 1976 to 1981, and they actually worked as under :—

M. C. Srivastava, Km. Beena Misra, Ashok Kumar, D. C. Srivastava and C. C. Shukla worked for 80 days each. Ashok Misra worked for 87 days upto 30.4.81. G. S. Bhadoria worked for 105 days upto 31.12.80 and Mr. S. K. Aggarwal worked for 227 days upto 5.5.76.

3. The workmen pleaded that they were entitled to notice of termination and the action of the management was against paras 496 and 522 of Sastry Award and also para 20.7 and 20.8 of the Bi-Partite settlement. It was said to be an unfair labour practice to make appointment in this manner against permanent vacancies. They claimed reinstatement in service with full back wages and continuity of service.

4. The management contested the claim [illegible] [illegible] made to [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cies of permanent [illegible] and [illegible] [illegible] 80 [illegible] [illegible] they did not complete [illegible] service within the [illegible] Section 25B [illegible] Act 1947 and [illegible] harbour of Section 25-F of the I.D. Act, 1947. They are not entitled to permanent appointment in the Bank and they were [illegible] from service and were employed for a [illegible] days in the event [illegible] permanent employment to them would [illegible] of the provisions of Articles 14 and 16 of the Constitution of India [illegible] these workmen would get a march over those candidates who seek employment through the prescribed procedure of Employment Exchange and would be [illegible] of equal opportunity for public employment to the [illegible]. The workmen were said to have been [illegible] vacancies. There was said to [illegible] [illegible] ment and Sastry Award.

5. Mr. V. V. Mathur [illegible] who appeared for the workmen earlier did not appear for the workmen.

6. The management's case appears to be correct. The appointments were not for permanent employment and other Indian citizens did not get a chance to apply for these jobs which [illegible] was available [illegible] Indian Citizens under Article [illegible] of the Constitution. [illegible] did not work for 240 days in 12 months and cannot avail of the plea of violation of Section 25F of the I.D. Act, 1947. Their appointments were only in leave vacancies. They are not entitled to permanent employment in bank service and cannot get any relief. The action of the management is legal and justified. The [illegible] [illegible] accordingly.

I further order that the requisite number of copies of this award be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

Dated : February 13, 1984

O. P. SINGLA, Presiding Officer

[No. L-12012/350/81-D.II(A)]

New Delhi, the 8th March, 1984

S.O. 882.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Bikaner and Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st February, 1984.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 19 of 1981

In the matter of dispute between

Shri Anil Kumar Khare, C/o The Assistant General Secretary, U.P. Bank Employees Union, 36/1, Kailash Mandir, Kanpur.

Vs.

The Manager, State Bank of Bikaner & Jaipur, 58/45, Birhana Road, Kanpur.

APPEARANCES

Miss Mithlesh—for the Management
None—for the Workman

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide Order No. L-12012/175/81 D.II(A) dated 19th December, 1981, made a reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of State Bank of Bikaner & Jaipur, Birhana Road, Kanpur in not providing employment to Shri Anil Kumar Khare, Clerk after the 31st December, 1980 (A.N.) and terminating his services is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. The claim statement was filed by Shri Harmangal Prasad, Assistant General Secretary, U.P. Bank Employees Union, Kanpur. Mr. A. K. Khare worked for 80 days from 13-10-80 to 31.12.80 with the State Bank of Bikaner and Jaipur, Birhana Road, Kanpur. The claim made is that he was entitled to permanent absorption, and that fresh hands were appointed again for a period of 80 days after terminating his services. They were said to be violation of paras 495 and 522 of Sastry Award. A. K. Khare was sought to be got reinstated in Bank service with full back wages as a permanent employee.

3. The Bank management contested the claim and asserted that the appointment was in purely temporary capacity and came to an end on the [illegible] expiry of the 80 days period for which he was appointed. He was said to have no legal right to the post and he was not appointed after undergoing the recruitment procedure. His permanent employment was said to be against the recruitment rules as well as the Constitutional provisions guaranteeing equality for a public employment to all Citizens of India. Similar action of the management [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1980.

4. Mr. V. V. Mangalvedhekar, who appeared for the workman earlier, did not appear later.

5. The management has filed copies of the apopintment orders, dated 13-10-80, 12-11-80 and 26-11-80, and the appointments are specifically for 30, 30 and 20 days respectively The appointments are not against permanent posts. The appointments are purely temporary. The workman does not swim into harbour of Section 25-F of the I.D. Act, 1947, on account of non-completion of 240 days service in 12 calendar months. He cannot be alowed permanent employment in Bank service by violating the equality clauses of the Constitution Article 14 and 16 which guarantee equal oportunity for public employment under the State to all citizens of India. When he was employed other citizens of India did not get opportunity for this job.

6. The action of the management of the Bank is justified and legal and does not require any interference. The workman is not entitled to any relief.

Further ordered that the requisite number of copies of this award be forwarded to the Central Govt. for necessary action at their end.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

Dated : February 13, 1984

[No. L-12012/175/81-D.II(A)]
N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1984

का०आ० 883.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वसु टैक्सटाईल्स, यु०एम० मिस्त्री कम्पाउण्ड, नियर इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, बापु नगर, अहमदाबाद-23 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(43)/84/पी०एफ०-II)]

New Delhi, the 1st March, 1984

S.O. 883.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the etsabilshfment known as Messrs Vasu Textiles, U.M. Mistry Compound, Near Industrial Estate, Bapunagar, Ahmedabad-23 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. L-12012/175/81-D.II(A)]

का०आ० 884.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ब्रज किशोर पाती, डी/एल-167, बसन्ती कालोनी, रुरकेला-769012, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 का उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(33)/84/पी एफ-2]

S.O. 884.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Braja Kishore Pati, D/L-167, Basanti Colony, Rourkela-769012, District Sundargarh, Orissa have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of he powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(33)/84-PF.II]

का०आ० 885.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मित्रा वर्क्स 6, कुशतिया रोड, कलका-39 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017(9)/84-पी एफ-II]

S.O. 885.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mittra Works, 6, Kustia Road, Calcutta-39, have agreed that the provisions of the Employees' Provident, Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-secion (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(9)/84-PF.II]

का०आ० 886.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वैपरफेज, 43 ए इण्डस्ट्रियल इस्टेट गोविन्दपुरा, भोपाल-462 023 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(47)/84/पी एफ-II]

S.O. 886.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Vapourphase, 43/A, Industrial Estate Govindpura, Bhopal-462023 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(47)/84-PF.II]

का०आ० 887.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इन्टरनेशनल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कन्सलटेंटस (प्रा०) लि० ज्योति पहली मंजिल, 66-नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 और रजि० आफिस 310-डाक्टर हाउस 14-मोदार रोड, बम्बई में स्थित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(46)/84-पी एफ-2]

S.O. 887.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs International Industrial Development Consultants (Private) Limited, Jyoti 1st Floor, 66-Nehru Place, New Delhi110009 and its Regd. Office at 310-Doctor House, 14-Peddar Road, Bombay have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S-35019(46)/84-PF.II]

का०आ० 888.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लुमक्स विपर्स एण्ड स्वीचस प्राइवेट लि 223/1, इन्डस्ट्रियल एरिया, नंगली सकरवती, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110043 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(45)/84-पी एफ-II]

S.O. 888.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lumax Wipers and Switches Private Limited, 223/1, Industrial Area, Nangli, Sakravati, Najaf Garh Road, New Delhi110043, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(45)/84-PF.II]

का०आ० 889.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स महेशवरी यार्मी सप्लाई एजेंसीज, 532, कटरा नील, चांदनी चौक, दिल्ली-110006 और इसकी शाखा पुरानी कोतवाली, चौड़ा बाजार, लुधियाना नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(44)/84-पी एफ-II]

S.O. 889.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Maheshwari Yarn Supply Agencies, 532, Katra Neel, Chandni Chowk, Delhi-110006 including its Branch at Purani Kotwali, Chora Bazar, Ludhiana, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;



Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019 (44)/84-PF. II]

का०आ० 890.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अलाइड कैमिकल्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बाबूजी का बाग स्टेशन रोड, जयपुर-6, राजस्थान तथा देश बन्धु गुप्ता रोड, नई दिल्ली-55 स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय तथा 612, कॉमर्स हाउस, 140, नगिनदास मास्टर रोड, बम्बई-23 इसके स्थित वेतन कार्यालय सहित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस-35019(35)/84-पी एफ-II]

S.O. 890.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as messrs Allied Chemicals & Pharmaceuticals Private Limited, Babuji Ka Bagh, Station Road, Jaipur-6, Rajasthan including its Registered Office at Desh Bandhu Gupta Road, New Delhi-55 and Pay Office at 612, Commerce House, 140, Nagindas Master Road, Bombay-23 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(35)/84-PF.II]

का०आ० 891.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पर्सनेल सर्विसेज सी-43, महावीर मार्ग, सी स्कीम, जयपुर-1, राजस्थान नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(32)/84-पी एफ-II]

S.O. 891.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Personnel Services, C-43, Mahaveer Marg, C-Scheme, Jaipur-1, Rajasthan have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(32)/84-PF.II]

का०आ० 892.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स काउन टाकीज, पोस्ट बाक्स नं 49, काकीनाडा-1, आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध

नियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस० 35019(31)/84-पी एफ-II]

S.O. 892.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Crown Talkies, Post Box No. 49, Kakinada-1 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of thepowers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019 (31) /84-PF. II]

का०आ० 893.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रेडीएन्ट इण्डस्ट्रीज, बी-7, आई डी ए, जीडीमेतला, हैदराबाद-500854, आन्ध्र प्रदेश, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं०एस-35019(34)/84-पी०एफ०-II]

S.O. 893.—Whereas it appears to the Central Government that the employers and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Radiant Industries, B-7, I. D. A. Jeedimetla, Hyderabad-500854, Andhra Pradesh have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. 35019 (34)/84-PF. II]

का०आ० 894.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सरत चन्द्र मोहापात्रा, ई 1, एन ए सी स्टाफ क्वार्टर्स; शक्ति नगर, रूरकेला-769018, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते उक्त हुए अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस०-35019(37)/84-पी०एफ०-II]

S.O. 894.—Whereas it appears to the Central Government that the emplorer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sarat Chandra Mohapatra, E/1, N.A.C. Staff Quarters, Shakti Nagar, Rourkela-769018, Sundergarh District, Orrissa have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(34)/84-PF. II]

का०आ० 895.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री लीला महल, पी. बी. नं० 309, बकिंघमपट विजयवाड़ा- 520002 आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019(36)/84/पी० एफ०-II]

S.O. 895.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messs Sri Leela Mahal, P.B. No. 309, Buckinghapet, Vijayawada-520002, Andhra Pradesh have agreed that the provisions of he Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establsihment.

[No. S-35019(36) /84-PF. II]

का०आ० 896.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बी० एण्ड पी० स्विचगेयर, 49 आई० डी० ए० बालानगर हैदराबाद-500037 आन्ध्र प्रदेश नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की (उपधारा 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं एस-35019(30)/84/पी० एफ०-II]

S.O. 896.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs B & P Switchgear, 49, I.D.A. Balanagar, Hyderabad-500037, Andhra Pradesh have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therfore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(30)/84-PF. II]

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1984

का. आ. 897.—मैसर्स कुमोदाम, 151, पुरासावलकम हाई रोड, मद्रास-600010 (तमिल नाडु/3513). (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

**अनुसूची**

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निदिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/32/84-पी एफ-2]

New Delhi, the 5th March, 1984

S.O. 897.—Whereas Messrs Kumodam, 151, Purasawalkam High Road, Madras-600010 (TN/3513) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to

the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payments of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibilities for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(32)/84-PF. II]

का. आ. 898.—मैसर्स मार्गदर्शी चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड, अबिड सेन्टर, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश/3527), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदान या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अत:, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आंध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित

किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिति को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आंध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस.-35014 (36)/84-पीएफ-2]

S.O. 898.—Whereas Messrs Margadarsi Chit Fund Private Limited, Abid Centre, Hyderabad (AP/3527) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014/36/84-P. F. II]

का. आ. 899.—मैसर्स उत्तर बांगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बंगचत्रा रोड, डाकघर पी. एस. एण्ड जिला कोचलेहार, पश्चिमी बंगाल (पश्चिमी बंगाल/16506), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पश्चिमी बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014(37)/84-पीएफ-2]

S.O. 899.—Whereas Messrs Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank, Bangchatra Road, P.O. P.S. and district Cochlehar West Bengal (WB/16506) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bangal, Maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(37)/84-P.F. II]

का. आ. 900.—मैसर्स श्री गोपालकृष्ण मिल्स (यूनिट-3) पो. बाक्स नं. 2052, गणपति पोस्ट, कोयम्बतूर-641006 (तमिल नाडु/12420). (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(40)/84-पी.एफ.-2]

S.O. 900.—Whereas Messrs Sri Gopalakrishna Mills (Unit. III) P.B. No. 2052, Ganapathy Post, Coimbatore-641006 (TN/12420) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees, of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenace of accouts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of

assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life insurance Corporation of India.

[No. S-35014(40)|84-PF. II]

का०आ० 901.—मैसर्स हिंद फिल्टर प्राईवेट लि० प्लाट नं० 1ए/8ए इण्डस्ट्रीयल एरिया, आगरा, बम्बई रोड, देवदास, मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में, समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/67/80-पी०एफ० 2]

S.O. 901.—Whereas Messrs Hind Filter Private Limited, Plot No. 1A/8A, Industrial Area, Agra Bombay Road, Dewas, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto,

the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(67)/80-PF. II]

का. आ. 9902.—मैसर्स स्टैण्डर्ड आरगानिक्स लिमिटेड, 6-3-348, "सलोपिया, द्वारकापुरी कोलोनी, हैदराबाद-500004 (आंध्र प्रदेश/12862), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सन्देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती

का प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/20/84-पी० एफ०-2]

S.O. 902.—Whereas Messrs Standard Organics Limited, 6-3-348, "Salopia, Dwrukapuri Colony, Hyderabad-500004 (AP/12862) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(20)/84-PF.II]

का. आ. 903.—मैसर्स जेट एयर ट्रांसपोर्टेशन प्रा. लि., 199, जे. टाटा रोड, चर्चगेट, बम्बई-400020 (महाराष्ट्र/19769). (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन

बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणिका भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/22/84-पी एफ-2]

S.O. 903.—Whereas Messrs Jet-Air Transportation Private Limited, 199, J. Tata Road, Churchgate, Bombay-400020 (MH/19769) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(22)/84-PF. II]

का. आ. 904.—मैसर्स मानेकलाल हरीलाल मिल्स लिमिटेड, सारसपुर, अहमदाबाद-380018 (गुजरात/308), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/

विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय करता है तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(21)/84-पी. एफ. 2]

S.O. 904.—Whereas Messrs Mancklal Harilal Mills Limited, Saraspur, Ahmedabad-380018 (GJ/308) (hereinafter referred to as the said establishment), have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(21)/84-PF-II]

का. आ. 905.—मैसर्स अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, अजमेर, (राजस्थान/1788) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदायी या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का

संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के संदाय के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिस सेकि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक-अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(23)/84-पी.एफ. 2]

S.O. 905.—Whereas Messrs Ajmer Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Limited, Ajmer, (RJ/1788) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the in-

interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(23)/84-PF-II]

का. आ. 906.—मैसर्स टैक्सटूल कम्पनी लिमिटेड, गणपती, कोयम्बत्तूर-641006 (तमिलनाडु/77) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/25/84-पी०एफ० 2]

S.O. 906.—Whereas Messrs Textool Company Limited, Ganapathy, Colmbatore-641006 (TN/77) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(254)|84-PF-II]

का. आ. 907.—मैसर्स भीलवाड़ा सैन्थेटिक्स लिमिटेड, भीलवाड़ा (राजस्थान/1681) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी या कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस को निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उस मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-15 014/27/84-पी एफ० 2]

S.O. 907.—Whereas Messrs Bhilwara Synthetics Limited, Bhilwara (RJ/1681) (thereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952)( hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, Submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(27)/84-PF-II]

का. आ. 908.—मैसर्स राजस्थान लैण्ड डेवलेपमेण्ट कार्पोरेशन', 3-चेतक मार्ग, जयपुर (राजस्थान/2487) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का सन्दाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस 35014(28)/84-पी० एफ०-2]

ए०के० भट्टराई, अवर सचिव

S.O. 908.—Whereas Messrs Rajasthan Land Development Corporation, 3 Chetak Marg, Jaipur (RJ/2487) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (28)/84-PF II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1984

का. आ. 909.—मैसर्स कृष्णा इंजीनियरिंग कंपनी प्रा. लि., डी.आई.भेल, एन्सिलरी इण्डस्ट्रियल एस्टेट, त्रिची (तमिल नाडु/8268), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं, और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/29/84-पी.एफ. 2]

New Delhi, the 5th March, 1984

S.O. 909.—Whereas Messrs Krishna Engineering Company Private Limited, D.I. BHEL, Ancillary Industrial Estate, Trichy, (TN/8268) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ,(19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of account, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the empoyees.

5. Whereas employe, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary preminm in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(29)/84-PF.II]

का. आ. 910.—मैसर्स डिन्डीगुल पोलीथीन वर्कर्स इण्डस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, (तमिल नाडु/6354), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं, और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन की सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तत्काल दर्ज करेगा और उसकी बाबत अपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/31/84-पी.एफ. 2]

S.O. 910.—Whereas Messrs Dindigual Polythene Workers Industrial Co-operative Society Limited, (TN/6354) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscelaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Funds or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are redued in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nomfnees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014 (31)/84-PF. II]

का. आ. 911.—मैसर्स श्री शक्ति टैक्सटाईल्स लिमिटेड, मिल प्रेमिसेस, कोयम्बतूर रोड, पो. बक्स नं. 36, पोलाची-642001 (तमिल नाडु/1167), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं, और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/30/84-पी.फ.2]

S.O. 911.—Whereas Messrs Sri Sakthi Textiles Limited, Mill Premises, Coimbatore Road, P.B. No. 36, Pollachi-642001 (TN/1167) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees deposit-linked Insurace Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Funds Com-

missioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits avilable to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(6)/84-PF.II]

का. आ. 912.—मैसर्स सन्तोकबा दुर्लभजी मिमोरियल हास्पीटल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर (राजस्थान/1806), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;



और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय

रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या. एस.-35014/6/84-पी.एफ.-2]

S.O. 912.—Whereas Messrs Santokba Durlabhji Memorial Hospital, Bhawani Singh Marg, Jaipur (RJ/1806) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-secion (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(6)/84-PF.II]

का. आ. 913.—मैसर्स आईचेर गुडअर्थ लिमिटेड, 9 मत्स्य इण्डस्ट्रियल एरिया, अलवर, (राजस्थान/1890), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उसे रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस.-35014/7/84-पी.एफ.-2]

S.O. 913.—Whereas Messrs Eicher Goodearth Limited, 9 Matsya Industrial Area, Alwar, (RJ/1890) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(7)/84-PF.II]

का. आ. 914.—मैसर्स लिबर्टी इन्टरप्राईजेज सेण्ट्रल हाउस, करनाल (पंजाब/58880), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों

के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/17/84-पी.एफ.2]

S.O. 914.—Whereas Messrs Liberty Enterprises Central House, Karnal, (PN/5880) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Funds Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee//legal heirs entiled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(17)/84-PF.II]

का. आ. 915.—मैसर्स राठी एलायस एण्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड, मात्स्या इण्डस्ट्रीयल एरिया, अलवर (राजस्थान/1790), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976

(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/18/84-पी.एफ.2]

S.O. 915.—Whereas Messrs Rathi Alloys and Steel Works Limited, Matsya Industrial Area, Alwar (RJ/1790) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Funds Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as aproved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(18)/84-PF.II]

का. आ. 916.—मैसर्स यनिवर्सल रेडियटर्स लिमिटेड, कोयम्बतूर, मेत्यपालयम रोड, कोयम्बतूर-43 (तमिल नाडु/3131), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निदेशितियों या विधिक दावेदारों को जो, यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निदेशितियों/विधिक दावेदारों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/26/84-पी.एफ.2]

S.O. 916.—Whereas Messrs Universal Radiators Limited, Coimbatore, Metyupalayam Road, Coimbatore-43 (TN/3131) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(26)/84-PF.II]

का. आ. 917.—मैसर्स सलेम सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, सलेम-63001 और इसकी शाखाएं, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

**अनुसूची**

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजित प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक/वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/8/84-पी. एफ. 2]

S.O. 917.—Whereas Messrs The Salem Central Co-operative Bank Limited, Salem-636001 and its branches, (TN/4147) (hereinafter referred to as the said establi hment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

S.O. 917.—Whereas Messrs The Salem Central Co-opertive employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of L fe Insurance wh ch are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed, in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(8)/84-PF.II]

का. आ. 918.—मैसर्स कांकिसा कन्सल्टेन्सी सर्विसेस, 244, धोदासार, मणिनगर, अहमदाबाद-38008 (गुजरात/1357-बी), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्म-भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे

स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक/वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस- 35014/9/84-पी.एफ.2]

S.O. 918.—Whereas Messrs Cadila Consultancy Services, 244, Ghodasar, Maninagar, Ahmedabad-380008 (GJ/1357-B) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Funds Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, Within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything cotnained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(9)/84-PF.II]

का. आ. 919.—मैसर्स नगर अरबन को-आपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (महाराष्ट्र/7148) और इसकी शाखाएं, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और

इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजित प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम-निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रहे जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एम-35014/10/84-पी.एफ.2]

S.O. 919.—Whereas Messrs Nagar Urban Co-operative Bank Limited, Ahmedanagar (MH/7148) and its branches (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## SCHEDUE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Funds or the Provident Fund of an

establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(10)/84PF.II]

का. आ. 920.—मैसर्स जे. के. अक्रलिक्स, जय-केय नगर कोटा राज./3568 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं, और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

## अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम

के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. 35014/19/84-पी.एफ.-II]

ए. के. भट्टराई, अवर सचिव

S.O. 920.—Whereas Messrs J. K. Acrylics, Jay-Kay Nagar, Kota, (RJ/3568) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(19)/84-PF. II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984